सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 05.03.2019 की कार्य सूची।

मद सं0–1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.2.2018 की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

मद सं0–2 **सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित निम्नलिखित आदेशों का अनुमोदनः–**

(1) देहरादून जौलीग्रान्ट मार्ग के नगर बस सेवा परमिटों का मार्ग विस्तार लालतप्पड (बिलडा याहामा) तथा डांडी(विरपुर) तक करने के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 20.01.2018 का अनुमोदन।

(2) श्री ईश्वर सिंह तथा श्री अजय सोनकर को अनारवाला–नयागॉव– हाथीबडकला– ईसी रोड– आईएसबीटी मार्ग पर छोटी चार पहिया वाहन को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 07.06.2018 में पारित आदेश का अनुमोदन।

(3) प्रेमनगर–श्यामपुर– ठाकुरपुर– महेन्द्र चौक–उमेदपुर– देवीपुर– परवल– सिहनीवाला– शिमला बाईपास मार्ग वाया परवल महेन्द्र चौक– होते हुये प्रेमनगर मार्ग पर हल्की चार पहिया, 07/08 सीटर वाहनों को 04 स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के स्थान पर प्रेमनगर–श्यामपुर–महेन्द्र चौक– गुसॉई चौक– अम्बीवाला– शुक्लापुर– वापस महेन्द्र चौक होते हुये प्रेमनगर मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के निर्णय दिनांक 13.04.2018 का अनुमोदन।

(4) हरिद्वार केन्द्र से जारी 5+1 सीटर विक्रम टैम्पो वाहनों के स्थान पर 7+1 सींटिग क्षमता वाले विक्रम वाहन को परमिट जारी करने के आदेश दिनांक 15.05.2018 का अनुमोदन।

(5) श्री सन्नी पाल को प्रेमनगर– आरकेडिया– मेहॅूवाला– शिमला बाईपास– आईएसबीटी मार्ग पर वाहन सं0 यूके07टीबी 3356 का स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के आदेश दिनांक 15.05.2018 का अनुमोदन।

(6) श्री विशन सिंह राणा को टाटा मैजिक एक्सप्रेस वाहन को स्कूल कैब ठेका परमिट जारी करने के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 13.04.2018 का अनुमोदन।

(7) श्रीमती संगीता नेगी को प्रेमनगर–नन्दा की चौकी– सहसपुर– सेलाकुई– भाऊवाला–सुद्वौवाला– पौंधा– बिन्दोली मार्ग के लिये वाहन सं0 यूके 07टीबी– 3307 का अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के आदेश दिनांक 25.05.2018 का अनुमोदन।

(8) राजाजी नेशनल पार्क चीला रेंज में पयर्टकों को सफारी टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने हेतु परमिट जारी करने के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 15.05.2018 का अनुमोदन।

(9) देहरादून केन्द्र के डीजल/पेट्रोल चलित ऑटो रिक्शा वाहनों के प्रतिस्थापन का समय दिनांक 01.07.2018 तक बढाये जाने के आदेश दिनांक 13.04.2018 का अनुमोदन।

(10) प्रेमनगर–श्यामपुर– ठाकुरपुर– महेन्द्र चौक–उमेदपुर– देवीपुर– परवल– सिहनीवाला– शिमला बाईपास मार्ग वाया परवल महेन्द्र चौक– होते हुये प्रेमनगर मार्ग पर हल्की चार पहिया, 07/08 सीटर वाहनों को परमिट जारी करने के आदेश दिनांक 15.05.2018 का अनुमोदन।

(11) देहरादून केन्द्र के ऑटो रिक्शा वाहनों में फेयर मीटर लगाने के की शर्त में दिनांक 31.03.2019 तक समय बढाये जाने के मौखिक आदेशों का अनुमोदन।

मद सं0–3 **सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः–**

दिनांक 01.2.2018 से दिनांक 31.01.2019 तक मो0गा0अ0–1988 की धारा–87 व 88(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट जारी किये गये :–

अ–	सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के अस्थाई परमिट –		4032 से 6126 तक।
ब–	शासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई परमिटः–		
	1–जनभार वाहन के स्थाई परमिट	–	4032 से 6944 तक।
	2–भारवाहन के राष्ट्रीय परमिट	–	2108 से 3879 तक।
	3–मैक्सी कैब के स्थाई परमिट	–	1798 से 3687 तक।
	4–टैक्सी कैब के स्थाई परमिट	–	403 से 782 तक।
	5–यूटिलिटी के स्थाई परमिट	–	428 से 806 तक।
	6–सवारी गाडी के स्थाई परमिट पर्वतीय मार्ग	–	482 से 1087 तक।
	मैदानी मार्ग	–	–
	7– निजी सवारी गाडी के स्थाई परमिट (स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं) को जारी परमिट	–	781 से 1542 तक।
	8– ठेका गाडी के स्थाई परमिट	–	369 से 1208 तक।
स–	स्थाई सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये परमिट	–	71
द–	स्थाई ठेका गाडी के परमिटों का नवीनीकरण–		
	1– ठेका गाडी परमिट	–	15

2– ऑटो परमिट	–	708
3– टैम्पो परमिट	–	433
4– मैक्सी कैब परमिट	–	712
5– टैक्सी कैब परमिट	–	12

मद सं0 –4 **देहरादून–कालसी मार्ग के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैतीताल द्वारा याचिका सं0 103/एमएस/2009 श्री एस0के0 श्रीवास्तव बनाम राज्य तथा अन्य व याचिका सं0 96/एमएस/2009 श्रीमती सुशीला देवी एंव अन्य बनाम राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.08.2018 पर विचार व आदेश।**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत एक बस मार्ग देहरादून–कालसी है, जिसकी लम्बाई 55 किमी0 है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 27.12.2008 से पूर्व इस मार्ग पर 09 स्थाई सवारी गाडी परमिटों पर बसों का संचालन हो रहा था। इस मार्ग हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 27.12.08 में मद सं0 13 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत किया जाता है। प्राधिकरण के उक्त निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित आवेदकों के द्वारा प्रश्नगत मार्ग हेतु 15 स्थाई सवारी गाडी परमिट प्राप्त किये गये थेः–

क्र0 सं0	परमिट धारक का नाम	परमिट सं0
1.	श्रीमती सीमा गर्ग पत्नी श्री रविकान्त	1884
2.	श्रीमती ऊषा एंव अनीता अग्रवाल	1891
3.	श्रीमती प्रीती गुप्ता पत्नी श्री गौरव गुप्ता	1892
4.	श्री सुमित चौधरी पुत्र श्री जवाहर सिंह	1902
5.	श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री उग्रसेन अग्रवाल	1903
6.	श्री धीरज कुशाल पुत्र श्री भरत सिह	1907
7.	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री गिरीधर प्रसाद	1919
8.	श्री अतर सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह	1941
9.	मौ0 कासिम पुत्र दीन मुहम्मद	1951

10.	श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री ज0एस0 बिष्ट	1960
11.	श्री रामकुमार सैनी पुत्र श्री चमन लालु	2000
12.	श्री पवन कुमार पुत्र श्री हरी सिंह	2001
13.	श्री मुर्करम अली पुत्र श्री शौकत अली	2004
14.	श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री परशुराम	1973
15.	श्री शहजाद अली पुत्र श्री नूर हसन	1913

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के उक्त निर्णय के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 103/एमएस/09 श्री एस0के0 श्रीवास्तव बनाम राज्य तथा अन्य तथा याचिका सं0 96/एमएस/2009 श्रीमती सुशीला देवी एंव अन्य दायर की गई थी। इन याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.01.09 तथा दिनांक 21.01.09 को आदेश पारित किये थे कि मार्ग पर जारी परमिटों की स्वीकृति न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार होगी।

उपरोक्त याचिकाओं के अतिरिक्त मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष रिवीजन सं0 5/09 दायर की गई थी। मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 27.06.09 के द्वारा देहरादून–कालसी मार्ग हेतु परमिट स्वीकृत सम्बन्धी निर्णय दिनांक 27.12.08 को संशोधित कर दिया था तथा आदेश पारित किये थे कि 05 प्रार्थियों को परमिट जारी किये जाये तथा शेष प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति के आदेश को निरस्त किया जाता है।

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के उक्त आदेशों के विरूद्ध श्रीमती सीमा गर्ग एंव अन्य के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 1039/एमएस/09 दायर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.07.2009 के द्वारा राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 27.06.09 को स्थगित कर दिया था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 11.11.11 में मद सं0 6 के अन्तर्गत मामला प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया थाः–

"कालसी मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के विरुद्ध श्रीमती सुशीला देवी एवम श्री एस के श्रीवास्तव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में क्रमशः याचिका सं0–96/09 तथा 103/09 दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय ने

दिनांक 19.01.09 तथा 21.01.09 को इस आशय के आदेश पारित किये गये थे कि, प्रश्नगत मार्ग पर परमिटों की स्वीकृति इन याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार होगी।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, देहरादून–कालसी मार्ग पर मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा रिवीजन सं0 05/09 में पारित आदेश दिनांक 27.06.09 के अनुपालन में निम्नलिखित प्रार्थियों को एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि, स्वीकृत परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किया जायेगा। यह परमिट मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिकाओं में भविष्य में पारित अंतिम आदेशों की शर्त के साथ जारी किये जायेंगे।

1–श्री मोहित कुमार पुत्र श्री भूषण कुमार,
2–श्री सुमित कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश,
3–श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री डी0एम0 अग्रवाल,
4–श्रीमती रमा अग्रवाल पत्नी श्री अनिल कुमार अग्रवाल,
5–श्री इन्द्रप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरूबक्श सिंह।"

प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उपरोक्त 05 प्रार्थियों के द्वारा प्रश्नगत मार्ग हेतु क्रमशः स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 2163, 2162, 2161, 2159, 2160 के परमिट प्राप्त कर लिये थे। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने अपने आदेश दिनांक 14.08.2018 द्वारा याचिका सं0 103/एमएस/09 एंव याचिका सं0 96/एमएस/09 को स्वीकृत किया है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के मुख्य अशं निम्नवत हैंः–

"Accordingly, writ petition are allowed. Agenda no 13 of meeting dated 27-12-2008 hereby set aside. Regional Transprt Authority is directed to get the survey done for Dehradun- Kalsi route, if not already done, expeditiously so that public may not suffer and thereafter, invite the applications for granting permit of the said route and grant permit, strictly accordance with law. Let copy of this judgment be placed in connected petition."

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में सचिव, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर आर्नस वेलफेयर एसोशिएशन, दर्शनी गेट, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 26.02.2019 के द्वारा निवेदन किया है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.2008 में देहरादून–कालसी मार्ग के स्वीकृत किये गये परमिटों को निरस्त करने की कार्यवाही की जाये।

श्री सी0एस0 रावत, एडिशनल चीफ स्टैडिंग काउन्सिल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने फैक्स दिनांक 01.03.2019 द्वारा सूचित किया है कि स्पेशल अपील सं0 152/2019 सन्दीप कुमार बनाम राज्य तथा अन्य में मा0 उच्च न्चायालय द्वारा दिनांक 01.03.2019 को अधोहस्ताक्षरी को मौखिक निर्देशित किया गया है कि उक्त अपील में अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के आदेश पारित न करने के सम्बन्ध में सूचित किया जाये।(पत्र की प्रति संलग्न है)।

इसके अतिरिक्त श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह सेलाकुई, देहरादून ने सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को सम्बोधित पत्र दिनांक 02.03.2019 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0 96 वर्ष 2009 सुशीला देवी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एंव रिट याचिका सं0 103 वर्ष 2009 श्रीवास्तव बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.08.2018 में मा0 उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील सं0 152 वर्ष 2019 प्रस्तुत कर चुनौती दी है तथा दिनांक 01.03.2019 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील की सुनवाई के दिनांक 05.03.2019 तक संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को प्रस्तावित बैठक में इस प्रकरण में कोई भी निर्णय लेने से निषिद्ध किया गया।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 5– **मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका स0 1911/एम0एस0/2018 श्री मंगल सिंह चौहान, 2460/एम0एस0/2018 श्री नरेश चन्द तथा अन्य एवं 3082/ एम0एस0/ 2018 विश्वनाथ जीप कमान्डर जीप कमान्डर ट्रैक्स एंव कार चालक एंव मालिक कल्याण समिति, उत्तरकाशी में पारित आदेश दिनांक 20.11.2018 के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण एंव राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में चालक सहित 07 सीट की क्षमता वाली वाहनों को टैक्सी परमिट तथा चालक को छोडकर 12 सीट की क्षमता वाली वाहनों को मैक्सी परमिट जारी किये गये हैं। उक्त दोनों प्रकार के परमिट ठेका गाडी की श्रेणी की में आते है। प्राधिकरणों द्वारा अन्य शर्तों के अतिरिक्त इन वाहनों मे निम्नलिखित शर्त भी अधिरोपित की गई हैः–

1. कोई भी ठेका वाहन किसी भी शहर एंव टाउन में किसी नियमित बस स्टैड, मुख्य मार्ग के पास पार्क नहीं की जायेगी।

2. किसी भी ठेका वाहन द्वारा किसी भी मार्ग पर यात्रा के प्रारम्भिक बिन्दु अथवा यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को अलग–अलग यात्री के रूप में न तो बैठाया जायेगा और ना ही उतारा जायेगा।
3. कोई भी ठेका वाहन किसी सार्वजनिक बस स्टैड के निकट यात्रियों को बैठाने के उददे्श्य से नही रोकी/खडी की जायेगी।
4. विभिन्न मुख्य सार्वजनिक स्थलों पर अधिनियम प्राविधानों के विरूद्ध बनाये गये ठेके वाहनों के अडडों को भी जिलाधिकारी एंव पुलिस अधीक्षक योजनाबद्ध हटाने के लिये प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
5. समस्त ठेका परमिट से संचालित होने वाले वाहनों, मंजिली परमिट की बसों व अन्य सभी प्रकार के यात्री एंव भार वाहनों के परमिट धारकों के द्वारा परमिट के साथ लगाई गई शर्तों का कडाई का पालन किया जायेगा।
6. टैक्सी/मैक्सी प्रकार के वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों के अनुसार यात्रियों के निजी लग्गेज को स्वीकृत भार सीमा 25 किग्रा0 तक प्रति यात्री) के अन्दर भी ले जाया सकता है, परन्तु यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में यात्रियों के नीजि लग्गेज से भिन्न अन्य माल को नहीं ढोया जायेगा।
7. बसों द्वारा पूर्व स्वीकृत सीमा तक ही माल (यात्रियों के नीजि लग्गेज के अतिरिक्त) ढोया जा सकेगा।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा वाहन सं0 यूके 10टीए 0112 को देहरादून तथा पौडी संभाग के मार्गो हेतु मैक्सी कैब परमिट सं0 6563 जारी किया गया है, जो दिनांक 09.04.2014 से दिनांक 08.04.2019 तक वैध है। यह परमिट श्री नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री रन्जौर सिंह, पाटा, उत्तरकाशी के नाम से जारी किया गया है।

श्री मंगल सिंह चौहान पुत्र श्री रन्जौर सिंह ग्राम व पो0ओ0 पाटा, जिला उत्तरकाशी ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 1911/2018 दायर की गई है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वे वाहन सं0 यूके 10टीए 0112 को संचालित कर रहे हैं। परन्तु वाहन के संचालन में प्रतिपक्षी सं0 6 अध्यक्ष, मै0 विश्वनाथ जीप कमान्डर ट्रैक्स एंव कार चालक एंव मालिक कल्याण समिति वाहन का संचालन नहीं करने दे रही है।

इसके अतिरिक्त याचिका सं0 2460/एम0एस0/2018 श्री नरेश चन्द्र एंव अन्य एंव याचिका सं0 3082/18 विश्वनाथ जीप कमान्डर जीप कमान्डर ट्रैक्स एंव कार चालक एंव मालिक कल्याण समिति, उत्तरकाशी द्वारा दायर की गई है। मा0

उच्च न्यायालय ने उक्त तीनों याचिकाओं का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 20.11.2018 द्वारा कर दिया है। मा0 उच्च नैनीताल द्वारा पारित आदेश के मुख्य अशं निम्नवत हैः–

On these rival submissions before this Court, the write petitions are disposed of with the directions to the commissioner, Garhwal Region, Dehradun to look into the rival claims of the parties and pass appropriate orders. what should be kept in mind by the authority is not only the livelihood of the petitioners and the members of the Union of taxi operators ,as this appears to be their only source of income, but also the convenience of the passengers which would be travelling from Barkot, District Uttarkashi to District Dehradun. Provisions of Motor Vehicle Act, 1988 shall also be taken into consideration.

Let an appropriate order be passed by the Commissioner, Garhwal Region, Dehradun within four weeks from the date of production of certified copy of this order.

Till a decision is taken by the Commissioner Garhwal Region, Dehradun status quo as of now shall be maintained.

मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश की सत्यापित प्रति मेसर्स विश्वनाथ जीप कमाण्डर सूमो, मैक्स एवं चालक मालिक कल्याण समिति उत्तरकाशी ने अपने पत्र दिनांक 30.1.2019 के द्वारा परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड को प्रेषित की गई है, जिसे अपर परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र स0 620/विधि/रिट–3087/18 दिनांक 12 फरवरी, 2019 के द्वारा आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त मामले की सुनवाई हेतु सम्बन्धित पक्षो को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 –6 **प्रेमनगर–रायपुर नगर बस सेवा मार्ग के नगर बस परमिट सं0 पीएसटीपी 1998 के विरूद्ध श्री विजय वर्धन डंडरियाल के द्वारा दिनांक 13.12.2018 को की गई शिकायत के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 27.12.2008 में प्रेमनगर–रायपुर नगर बस सेवा मार्ग पर सभी प्रार्थियो को एक–एक परमिट सामान्य शर्तों तथा नई वाहन प्रस्तुत करने की शर्त पर स्वीकृत किया गया था।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया था कि प्रार्थियो में से किसी के पास पूर्व में किसी मार्ग का परमिट पाया जाता है तो ऐसे प्रार्थी को स्वीकृत परमिट जारी न किया जाये तथा इस आशय का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र भी लिया जाये। श्री विजय वर्धन डंडरियाल, 3 नरदेव शास्त्री मार्ग, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 13.12.2018 के द्वारा सूचित किया है कि श्री गोपाल सिंह भण्डारी के नाम पर राजपुर–क्लेमेन्टाउन नगर बस मार्ग का परमिट होने के बावजूद प्रेमनगर–रायपुर नगर मार्ग का परमिट प्राप्त किया गया है। श्री डंडरियाल ने इस परमिट को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 27.12.2008 के मद सं0 14(3) में प्रेमनगर–रायपुर वाया बल्लुपुर चौक– बल्लीवाला चौक– जी0एम0एस0 रोड– टिपटॉप वैडिंग प्वाईट– शिमला बाईपास– आई0एस0बी0टी0–रिस्पना पुल– जोगीवाला– नेहरूग्राम–रायपुर मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि ***"..... शहर के विभिन्न स्थानों से अत्यधिक संख्या में कर्मचारी कार्यरत होने के कारण जनसुविधार्थ एंव कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया था कि मद सं0 14(3) के परिशिष्ट च एंव अनुपूरक सूची में उल्लिखित प्रार्थियों को एक–एक परमिट पूर्व प्रतिबन्धों एंव सामान्य शर्तों के साथ नई वाहन प्रस्तुत करने की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति परमिट प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.03.2009 का समय प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि परिशिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों में से किसी के पास पूर्व में किसी मार्ग का परमिट पाया जाता है तो ऐसे प्रार्थी को स्वीकृत परमिट जारी न किया जाय तथा इस आशय का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र भी लिया जाय।....."***

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में श्री गोपाल सिंह भण्डारी पुत्र श्री बुद्व सिंह भण्डारी, 186 नेहरू कॉलोनी, देहरादून को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.12.08 एंव आवेदन के साथ संलग्न रू0 10/– का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, जिसमें श्री भण्डारी के द्वारा की गई घोषणा ***"That I have no other vehicle"*** के आधार पर प्रश्नगत मार्ग हेतु वाहन क्रय कर दिनांक 31.03.2009 तक स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु कार्यालय द्वारा दिनांक 02.01.2009 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री भण्डारी के द्वारा अपनी नई बस सं0 यूके 07पीए 0478 हेतु दिनांक 31.03.2009 को स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 1998 प्राप्त कर लिया गया था। जिसकी वैधता दिनांक 30.03.3019 तक है।

श्री विजय वर्धन डंडरियाल द्वारा की गई उक्त शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री गोपाल सिंह भण्डारी के नाम पर राजपुर–क्लेमेन्टाउन नगर बस सेवा मार्ग हेतु स्थाई गाडी परमिट सं0 पीएसटीपी 1178 दिनांक 18.03.1997 को जारी किया गया था। उक्त परमिट जारी करने की तिथि से वर्तमान तक श्री भण्डारी के नाम पर ही जारी हैं जिस पर वाहन सं0 यूके07 पीए 0048 संचालित है तथा परमिट की वैधता दिनांक 13.03.2022 तक है।

उपरोक्त शिकायत के क्रम में श्री गोपाल सिंह भण्डारी पुत्र श्री बुद्व सिह भण्डारी को कार्यालय पत्र सं0 4332/आरटीए/धारा–86/पीएसटीपी–1998 दिनांक 21.12.2018 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रतिउत्तर में श्री भण्डारी ने अपने पत्र दिनांक 01.01.2019 द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने हेतु 15 दिनों का समय देने हेतु निवेदन किया था। कार्यालय के पत्र सं0 19/आरटीए/आरटीए–1998/2019 दिनांक 05.01.2019 द्वारा 15 दिन का समय उत्तर प्रस्तुत करने हेतु दिया गया था। श्री भण्डारी ने अपने पत्र दिनांक 19.01.2019 द्वारा अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.2008 में लिये गये निर्णय व शर्तों को प्रसारित/प्रकटित नहीं किया गया था, जिसके कारण प्रार्थी को उक्त शर्त/निर्णय की जानकारी प्राप्त नही हो सकी थी। प्रार्थी को जारी स्वीकृति पत्र में भी उक्त निर्णय का उल्लेख नहीं था। इसलिये प्रार्थी को प्रेषित धारा–86 का नोटिस आधारहीन एंव बलहीन है।

प्रार्थी को वाहन सं0 यूके 07पीए 478 के लिये परमिट दिनांक 31.03.2009 को जारी किया गया था। जो दिनांक 30.03.2019 तक वैध है। प्राधिकरण के निर्णय/शर्त का अनुपालन नहीं किये जाने के विरूद्ध लगभग 09 वर्षों के बाद कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। श्री भण्डारी ने अपनी आख्या/उत्तर में यह भी कहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 80 के अन्तर्गत उदार नीति से परमिट स्वीकृत करने का प्राविधान है ओर वर्तमान में उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 में भी उदार नीति से परमिट स्वीकृत/जारी करने के प्राविधान निहित किये गये हैं। नियमावली में ऐसी शर्त लगाने का कोई प्राविधान नहीं है जो मौलिक अधिकार के विरूद्ध हो। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 71 उपधारा 4 के अन्तर्गत एक ब्यक्ति को 05 परमिट ओर संस्थाओं को 10 परमिट स्वीकृत करने की सीमा निर्धारित थी, जिसको केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1994 में किये गये संशोधन से समाप्त कर दिया गया है अर्थात अब किसी भी सीमा तक परमिट प्राप्त किया जा सकता है।

श्री भण्डारी ने सूचित किया है कि उन्होंने राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग का परमिट सं0 1178 जिस पर वाहन सं0 यूके07 पीए 0048 को माह नवम्बर, 2008 में ही श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री एम0एल0 शर्मा, नेहरू कॉलोनी, देहरादून को आपसी सहमति से विक्रय की गई थी। चूकिः वाहन टाटा फाईनेन्स से संविदा के अन्तर्गत थी इसलिये आपसी समझौते में तय पाया गया था कि वाहन का ऋण अदा करने के पश्चात परमिट एंव वाहन का हस्तान्तरण क्रेता द्वारा करा लिया जायेगा। उन्होंने उक्त नोटिस को पत्रावलित कराने का अनुरोध किया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 7– सिटी बस की बोर्ड फिटनेस में पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त फिटनेस प्रमाण–पत्र में राहत प्रदान करने के सम्बन्ध देहरादून महानगर सीटी बस सेवा महासंघ देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 10.12.2018 पर विचार व आदेश।

श्री विजय वर्धन डंडरियाल, अध्यक्ष, देहरादून महानगर सीटी बस महासंघ, देहरादून ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 10.12.2018 द्वारा सूचित किया है कि सीटी बसों की बोर्ड फिटनेस कराते समय मोटर मालिकों को दिक्कत का सामना करना पड रहा है। सीटी बसों की बोर्ड फिटनेस कराते समय परिवहन अधिकारी, सीटी मजिस्ट्रेट एंव पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। पुलिस अधिकारी से वाहन फिटनेस कराते समय बहुतायतः अधिकारी की अपने स्थान में उपलब्धता न होना एंव पुलिस प्रागण में यात्री वाहन के लिये जगह उपलब्ध न होने पर कठिनाईयों का सामना करना पडता है। उन्होंने निवेदन किया है परिवहन विभाग के अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एंव आरआई को बोर्ड फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नामित कर वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महानगरों में नगर बस सेवा संचालन के लिये माडॅल कार्य योजना बनाई गयी थी। इस योजना में यह प्राविधान किया गया था कि नगर बस सेवा मार्ग पर चलने वाली बसों के लिये बसों की जॉच हेतु एक तकनीकी समिति होगी। बसों को संचालन करने से पूर्व तकनीकी जॉच इस समिति द्वारा की जायेगी। समिति मुख्य कतर्ब्य होगा कि वह वाहन के डिजायन, माडॅल एंव रंग रोगन के साथ मोटर ब्हीकल एक्ट के अन्तर्गत वाहन की फिटनेस के लिये दिये गये प्राविधानों से सुनिश्चित कर अपना अनुमोदन देगी। समिति में अपर जिलाधिकारी(नगर), पुलिस अधीक्षक (यातायात), एआरटीओ (जोन) होगें।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 26.08.1996, 29.08.1996 एंव दिनांक 31.08.1996 में देहरादून नगर में निजी नगर बस सेवा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित किये गये थे कि नगर बस सेवा हेतु वाहन की उपयुक्ता तकनीकी निरीक्षण, एक समिति द्वारा किया जायेगा। जिसमें निम्न अधिकारी, अध्यक्ष एंव सदस्य होंगेः–

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी – सदस्य।
3. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/ संभागीय निरीक्षक(प्रा0) – सदस्य/सचिव

उपरोक्त समिति से गाडी की उपयुक्ता आदि के सम्बन्ध में निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु दो अधिकारियों का कोरम निश्चित किया जाता है ।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 8 – <u>सिटी बसों में वरिष्ठ नागरिकों हेतु सीट आरक्षित करने के सम्बन्ध में पी0पी0एस0 (रिटायर्ड) आफिसर्स वेलफेयर एसोशिएशन, नेहरू कॉलोनी, देहरादून के पत्र दिनांक 05.12.2018 पर विचार व आदेश।</u>

अपर जिलाधिकारी, देहरादून ने अपने पत्र सं0 247/व्यक्तिक अधिकारी/2018 दिनांक 17.12.18 द्वारा पी0पी0एस0 (रिटायर्ड) आफिसर्स वेलफेयर एसोशिएशन, नेहरू कॉलोनी, देहरादून के पत्र दिनांक 05.12.2018 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये निर्देश दिये हैं कि पत्र में उल्लेखित विभाग से सम्बन्धित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में परिवहन विभाग से सम्बन्धित बिन्दु 3 में उल्लेख है कि सीटी बसों में महिलाओं तथा जनप्रतिनिधियों के लिये सीट निर्धारित रहती है। परन्तुत बुजुर्गों को खडे–खडे यात्रा करनी पडती है। सीटी बसों में भीड भी अधिक रहती है। खडे–खडे यात्रा करना जोखिम भरा रहता है। उन्होंने अपेक्षा की है कि नगर बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिये सीट आरक्षित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 03.11.2003 के संकल्प सं0 6 के द्वारा नगर बसों में महिलाओं तथा छात्राओं के लिये सीट आरक्षित करने के सम्बन्ध में मामले पर

विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि 25 सीट तक की बसों में 06 सीट तथा 26 सीट से 35 सीट तक की बसों में 10 सीटें ड्राईवर केबिन के पीछे आरक्षित की जायें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 9 – **राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के (दॉये, बॉये व पीछे की ओर) बॉडी के ऊपर दिशा निर्देश लिख कर सड़क सुरक्षा का प्रचार करने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द शर्मा के पत्र दिनांक 27.11.2017 पर विचार व आदेश।**

अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 749/प्रवर्तन/स0सू0/एक–8/44/2018 दिनांक 14.02.2018 द्वारा राज्यपाल, सचिवालय, उत्तराखण्ड के माध्यम से प्राप्त श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, गंगा सर्विस स्टेशन, ज्वालापुर, हरिद्वार के पत्र दिनांक 27.11.2017 की प्रति प्राप्त हुई है। अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने निर्देशित किया है कि उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण/संभागीय परिवहन प्राधिकरणों की बैठकों में विचार कर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से शासन एंव सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री सुभाष चन्द शर्मा ने अपने पत्र दिनांक 27.11.2017 द्वारा निवेदन किया है कि राज्य सरकार द्वारा परिवहन निगम की बसों में (दॉये बॉये ओर पीछे की ओर बाडी के ऊपर) सड़क सुरक्षा के दिशा निर्देश लिखवाकर सडक सुरक्षा का प्रचार कराया जाये।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद स0– 10 **सार्वजनिक सेवा यानों (बसों) में दिव्यॉगजनो को चढ़ने–उतरने हेतु रैम्प की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध विचार व आदेश।**

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के कार्यालयादेश सं0 23/नियोजन/13–97/2018 दिनांक 01–01–19 के द्वारा अवगत कराया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका सं0 243/2005 राजीव रतूडी बनाम भारत संघ व अन्य तथा याचिका सं0 228/2003 नीलेश सिंघित बनाम भारत संघ व अन्य के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2018 को सम्पन्न बैठक में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में दिव्यॉगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन हेतु समस्त विभागों को अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त

निर्देश के अनुपालन में परिवहन आयुक्त, महोदय ने निर्देशित किया है कि सार्वजनिक परिवहन सेवा को दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य बनाए जाने के उददे्श्य से समस्त मंजिली गाडियों में रैम्प की व्यवस्था की जाए। जिन वाहनों में तकनीकी रूप से रैम्प बनाया जाना संभव न हों उन वाहनों में दिव्यांगजनों को वाहन में चढ़ने–उतरने की सुविधा प्रदान करने हेतु लकडी के रैम्प रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतः प्राधिकरण मामले मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 – 11 **परेड ग्राउण्ड– जैतुनवाला–घंघोडा मार्ग पर बडी बसों के स्थान पर हल्की चार पहिया, वाहनों के परमिट जारी करने के सम्बन्ध में गढी कैन्ट आपरेटर यूनियन, परेड ग्राउण्ड, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 01.02.2019 पर विचार व आदेश।**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत मार्ग परेड ग्राउण्ड घंघोडा–जैतुनवाला है। इस मार्ग पर बडी बसों का संचालन हो रहा था। इस सम्बन्ध में आख्या निम्नवत हैः–

परेड ग्राउन्ड –घंघोड़ा कैण्ट–जैन्तनवाला स्टैज कैरिज मार्ग है, जिसका समय–2 पर विस्तार अनारवाला–जोहड़ी–नया गॉव–सिनोला, घंघोड़ा–विलासपुर कांडली, सप्लाई से गलजबाडी बंकर तक किया गया है। इस मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा 20 परमिट जारी किये गये है, वर्तमान में मार्ग पर 14 बस संचालित है । यह मार्ग गढी कैण्ट ऐरिया एवं कैण्ट ऐरिया के आस–पास के गॉव से होकर जाता है। इस मार्ग के कैण्ट ऐरिया क्षेत्र में वीरपुर नामक स्थान से जैन्तनवाला क्षेत्र में जाने के लिये एक पुल से होकर वाहने गुजरती थी, माह दिसम्बर, 2019 में इस पुल के अचानक टूट जाने से वीरपुर से आगे वाहनो का अवागमन ठप्प हो गया था। माह जनवरी–2019 में लोक निमार्ण विभाग के द्वारा इस मार्ग पर नया लोहे का पुल का निमार्ण किया गया है, लेकिन इस पुल से केवल छोटी वाहनो का संचालन किया जा रहा है। इस संबध में लोक निमार्ण विभाग को कार्यालय पत्र सं0 272/आरटीए/दस–152/2019 दिनांक 02.02.2019 प्रेषित करते हुये, पुल पर कितने भार क्षमता की वाहनों का संचालन किया जाना सुरक्षित है के सम्बन्ध में सूचना मॉगी गई थी, जिस पर लोक निमार्ण विभाग द्वारा सूचित किया है, कि उक्त अस्थाई पुल में एक समय में एक हल्का वाहन जिसकी क्षमता 16 टन है, अवागमन हो सकता है। पुल से गुजरने वाली वाहनो की वास्तविक स्थिति हेतु विभागीय प्रर्वतन अधिकारी द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण कराया गया है, जिस पर श्री एम0डी0 पपनोई परि0कर0 अधिकारी–2 द्वारा अपनी निम्नवत् आख्या प्रस्तुत की हैः–

''अवगत कराना है, कि महोदय् के निर्देशो के अनुपालन में दिनांक 14.2.2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रर्वतन दल देहरादून के साथ विषयक् मार्ग का सर्वेक्षण किया गया है। उपरोक्त मार्ग के वीरपुर–घंघोड़ा के मध्य निर्मित पुल टूट जाने के कारण इस मार्ग पर संचालित स्टैज कैरिज बसो बसो का संचालन केवल वीरपुर पुल तक ही हो रहा है । मार्ग पर टूटे हुये पुल के स्थान पर लोक निर्माण विभाग द्वारा लोहे का नये पुल का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है, लेकिन इस पुल से केवल हल्की वाहनो का संचालन किया जा रहा है। बड़ी वाहनो के संचालन को प्रतिबंधित करने हेतु पुल के प्रारम्भ में एक लोहे का गाटर लगाया गया है, जिस कारण से कोई बड़ी वाहन पुल से होकर नही गुजर रही है। इस पुल की कुल चौड़ाई 14 फिट है, तथा पुल पर 09 फिट की उॅचाई पर गाटर लगा रखी है, इस कारण से इस पुल से केवल 09 फिट से कम उॅचाई की वाहन ही गुजर सकती है।

इस पुल से जैन्तुनवाला गॉव की दूरी लगभग 4–5 कि0मी0 है, इसके मध्य में भी काफी आबादी क्षेत्र है, ज्ञात करने पर क्षेत्र में लगभग 6–7 हजार की आबादी निवास करती है। इस क्षेत्र में बस सेवा के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक सेवाये जैसे विक्रम, ऑटो, टाटा मैजिक आदि संचालित नही है।''

इस संबध में अवगत कराना है, कि वर्तमान में जो बस इस मार्ग पर संचालित हो रही थी, उनकी उॅचाई लगभग 14 फीट है, और यह बस इस पुल से होकर नही जा सकती है । इस क्षेत्र में अन्य परिवहन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सम्बन्धित यूनियन द्वारा अपना जो प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है, उसमें यह उल्लेख किया गया है किः–

''प्रार्थी यूनियन आप से अनुरोध करती है, कि प्रार्थी यूनियन को कुल 14 बसो पर 28 मैजिक परमिट करर्वट करने की कृपा करे, ताकि प्रार्थी यूनियन और आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और प्रार्थी यूनियन अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण कर सके, आपकी अति कृपा होगी।''

उपरोक्त सभी तथ्यो के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है, कि पुरे मार्ग पर वाहनो का सुचारू संचालन हेतु यह आवश्यक है, कि इन परमिटो पर ऐसी वाहनो को अनुमति प्रदान की जाये, जो इस नव–निर्मित पुल से होकर गुजर सके।

उपरोक्त मार्ग पर चालक को छोडकर 07 से 12 सींटिग क्षमता वाली, छोटी चार पहिया वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के विरूद्ध अध्यक्ष, देहरादून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 26.02.2019 के द्वारा आपत्ति ब्यक्त की है कि चार पहिये वाहन 07 सीटर से 12 सीटर ड्राईवर को छोडकर मैक्सी कैब को नियम विरूद्ध स्टेज

कैरिज परमिट देने पर मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में मेरे द्वारा याचिका सं0 525/एमएस/18 दायर की गई है। जिसका वाद लम्बित है। जब तक मा0 न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है तब तक उक्त वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट देने से रोका जाए। क्योंकि मैक्सी कैब कान्ट्रैक्ट कैरिज वाहन की श्रेणी में आता है और कान्ट्रैक्ट कैरिज वाहन 7 सवारी+ 1 ड्राईवर से 12 सवारी+ 1 ड्राईवर तक मैक्सी कैब की श्रेणी में आता है यदि इन्हें दिया जाता है तो यह मोटरयान अधिनियम 1988 के नियमों के विपरीत होगा। उन्होंने निवेदन किया है कि जब तक मा0 न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक क्रमॉक– 7 (उक्त मद में वर्णित मार्ग) को स्थगित रखा जाय। इसी प्रकार इस पत्र में क्रमॉक 09 (विक्रम टैम्पो वाहनें को) में तीन पहिये टैम्पो विक्रमों को स्टेज कैरिज परमिट स्वीकृत करने के विरूद्ध आपत्ति ब्यक्त की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याचिका सं0 525/एमएस/18 सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 09.02.2018 को विज्ञप्ति जारी करने के विरूद्ध दायर की गई थी। इस विज्ञप्ति के द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.02.2018 को आहूत करने की सूचना के साथ यह भी प्रकाशित किया गया था कि अन्य विषयों के साथ–साथ देहरादून संभाग के विभिन्न मार्गों पर 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने तथा विक्रम टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 15/ix/50/2016 दिनांक 05.01.2016 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा(3) के खण्ड (ग–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत देहरादून जनपद के 07 मार्गो को मंजिली गाड़ी चलाने के लिये शासन द्वारा निम्नलिखित मार्गों को निर्मित किया गया है।

(1) परेड ग्राउन्ड–सचिवालय चौक –दिलाराम बाजार–ग्रेट वैल्यू होटल–पुलिस कालोनी–आई0टी0पार्क–सहस्त्रधारा रोड–मंसूरी बाईपास–नागल हटनाला मार्ग।

(2) सांई मन्दिर–कैनाल रोड–किशनपुर–साकेत कालोनी–ग्रेटवैल्यू होटल सचिवालय– ई0सी0रोड–आराघर–रिस्पना–केदारपुर–दून विश्वविधालय–मोथरोवाला मार्ग।

(3) प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्रचौक–उमेदपुर–देवीपुर–परवल–सिहनीवाला–शिमला बाईपास मार्ग वाया परवल, महेन्द्रचौक होते हुए प्रेमनगर मार्ग।

(4) प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्र चौक–गुसांई चौक–अम्बीवाला–शुक्लापुर वापस महेन्द्र चौक होते हुये प्रेमनगर मार्ग।

(5) प्रेमनगर–आरकेडिया टी स्टेट–मिठ्ठी बेरी–बनियावाला–गोरखपुर–शिमला बाईपास –आई0एस0बी0टी0 वाया बड़ोवाला–आरकेडिया होते हुये प्रेमनगर मार्ग।
(6) प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग ।
(7) अनारवाला–नया गॉव–हाथीबड़कला–परेड ग्राउण्ड–ई0सी0 रोड–आई0एस0बी0टी0 मार्ग।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.02.2018 में शासन द्वारा निर्धारित 07 मार्गों में से क्रमॉक 01 व 02 को छोडकर अन्य 05 मार्गों पर चालक को छोडकर, 07 से 12 सींटिंग क्षमता वाली, छोटी चार, पहिया वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये थे। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के विरूद्ध दायर याचिका सं0 525/एमएस/18 में प्राधिकरण की बैठक के पश्चात दिनांक 27.02.2018 को को निम्नलिखित आदेश पारित किये हैंः–

"……..

Three weeks' time is granted to the respondents to file counter affidavit.

List this case on 23-03-3018 in the daily cause list.

Meanwhile, if any stage carriage permit is given by the respondents, that shall be subject to the final determination in the writ petition."

चूकिः मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.02.218 में लिये गये निर्णय के पश्चात दिनांक 27.02.2018 को प्राप्त हुये थे। अतः उपरोक्त 05 मार्गो के साथ–साथ प्रेमनगर– नन्दा की चौकी – पौधा– विधौली – डुंगा– भाऊवाला – सुद्वोवाला–प्रेमनगर– सहसपुर–सेलाकुंई–भाउवाला–डूंगा– कोटडा एवं सम्बद्व मार्गो एंव बाजावाला–मंसदावाला–कौलागढ़–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग पर चालक को छोडकर, 07 से 12 सींटिंग क्षमता वाली, छोटी चार पहिया वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित अन्तिरम आदेशों की शर्त के साथ जारी किये गये हैं। वर्तमान में उक्त याचिका मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः प्राधिकरण मामले मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 12– **संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.02.2018 में चालक को छोड़कर 07 से 12 सीटर, क्षमता वाली, चार पहिया, छोटी वाहनों को विभिन्न मार्गो पर निर्धारित स्थाई सवारी गाडी परमिटों के सापेक्ष उपलब्ध रिक्तियों के लिये प्राप्त आवेदनों पर विचार व आदेश।**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.02.2018 में संकल्प सं0 15 द्वारा निम्नलिखित मार्गों पर चालक को छोडकर 7 से 12 सींटिंग क्षमता वाली, चार पहिया, हल्की वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये गये थे। उक्त सभी मार्ग प्रेमनगर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में आख्या निम्नवत हैः–

(1) प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्रचौक–उमेदपुर–देवीपुर–परवल–सिहनीवाला–शिमला बाईपास मार्ग वाया परवल, महेन्द्रचौक होते हुए प्रेमनगर मार्ग।

उपरोक्त मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा कुल 10 परमिट (सामान्य–08, अनु जाति–02) स्वीकृत किये गये है, जिसके क्रम में केवल 01 आवेदक द्वारा इस मार्ग का परमिट प्राप्त किया है। इस प्रकार वर्तमान में इस मार्ग में 09 स्थाई सवारी गाडी परमिटों की रिक्ति उपलब्ध है। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 01 आवेदन प्राप्त है। जिसका विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री दीपक सकलानी पुत्र श्री राकेश सकलानी, 198 सैयद मौहल्ला, देहरादून।

(2) प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्र चौक–गुसांई चौक–अम्बीवाला–शुक्लापुर वापस महेन्द्र चौक होते हुये प्रेमनगर मार्ग।

उपरोक्त मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा कुल 10 परमिट (सामान्य–08, अनु जाति–02) स्वीकृत किये गये है, जिसके क्रम में केवल 03 आवेदक द्वारा इस मार्ग का परमिट प्राप्त किया है। इस प्रकार वर्तमान में इस मार्ग में 07 स्थाई सवारी गाडी परमिटों की रिक्ति उपलब्ध है। इन रिक्तियो के सापेक्ष आवेदन प्राप्त नहीं है।

(3) **<u>प्रेमनगर–आरकेडिया टी स्टेट–मिठ्ठी बेरी–बनियावाला–गोरखपुर–शिमला बाईपास –आई0एस0बी0टी0 वाया बड़ोवाला–आरकेडिया होते हुये प्रेमनगर मार्ग।</u>**

उपरोक्त मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा कुल 20 परमिट (सामान्य–16, अनु जाति–04) स्वीकृत किये गये है, जिसके क्रम में 15 सामान्य वर्ग के आवेदकों एंव 03 अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक द्वारा इस मार्ग का परमिट प्राप्त किया है। इस प्रकार वर्तमान में इस मार्ग में 01 सामान्य एंव 01 अनुसूचित जाति वर्ग श्रेणी के आवेदकों के लिये स्थाई सवारी गाडी परमिटों की रिक्ति उपलब्ध है। इन रिक्तियों के सापेक्ष 10 सामान्य वर्ग एंव 01 अनुसूचित जाति श्रेणी वर्ग के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त है। जिनका विवरण निम्नवत हैः–

1. श्रीमती सपना रावत पत्नी श्री राजेश रावत, मोहनपुर, प्रेमनगर, देहरादून
2. श्री अधीर पुण्डीर पुत्र श्री रणधीर सिंह, 176/6 वेस्ट बंसन्त विहार, देहरादून
3. श्री सचिन कुमार पुत्र श्री छोटेलाल, देहरादून।
4. श्री हरीश चावला पुत्र स्व0 श्री एमएल चावला, विंग नं0 6 प्रेमनगर, देहरादून
5. श्री जगमीत सिंह पुत्र स्व0 श्री मनमोहन सिंह, 45 सदभावना कुॅज, पडितवाडी, देहरादून
6. श्री सूरजपाल चौहान पुत्र श्री मैसी, नई बस्ती पथरीया पीर, नेशविला रोड देहरादून
7. श्री विलाल कुरेशी पुत्र श्री सलीम, 74 प्रेमनगर, विंग नं0 6 देहरादून।
8. श्री रंजन जैसवाल पुत्र श्री जोकू जैसवाल, 72 एमडीडीए, नगर निगम, अधोईवाला, देहरादून।
9.श्री मदन पाल पुत्र श्री आशाराम, केहरी गॉव, देहरादून– **अनुसूचित जाति श्रेणी**
10. श्रीमती पूजा पत्नी श्री विशाल कुमार, 125 खुडबुडा ब्लाक 4 शिवाजी मार्ग, देहरादून।
11. श्री चित्रा पत्नी श्री स्वर्ण कुमार, 4/1/8 प्रेमनगर, देहरादून।

(4) **प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग।**

उपरोक्त मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा कुल 10 परमिट (सामान्य–08, अनु जाति–02) स्वीकृत किये गये थे।, इस मार्ग पर 04 अस्थाई परमिटों पर वाहनों का संचालन हो रहा था। जिसमें से 03 आवेदकों के द्वारा परमिट प्राप्त किये गये हैं, शेष एक आवेदक श्री डी0एस0 नेगी की मृत्यु हो जाने के कारण परमिट प्राप्त नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में उनकी पत्नी श्रीमती बीना देवी द्वारा पूर्व में संचालित वाहन सं0 यूके07 टीए 6766 का हस्तान्तरण मृतक आश्रित के रूप में अपने नाम कराकर, स्थाई परमिट हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वर्तमान में इस मार्ग पर उपरोक्त के अतिरिक्त 06 स्थाई सवारी गाडी परमिटों की रिक्ति उपलब्ध है। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 01 आवेदन प्राप्त है। जिसका विवरण निम्नवत हैः–

श्री प्रवीन कुमार राणा पुत्र श्री रविन्द्र सिंह, घंघोडा, धौलास, विकासनगर, देहरादून

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 13– श्री रवि कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द के बाजावाला–मंसदावाला –कौलागढ –विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग पर परमिट जारी किये जाने सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।

श्री रवि पुत्र श्री सुरेश चन्द निवासी–निम्बूवाला गढी कैण्ट देहरादून के मा0 विधायक कैंट विधान सभा को सम्बोधित पत्र कार्यालय में प्राप्त हुया है, जिस पर मा0 विधायक जी द्वारा अध्यक्ष, महोदय् के लिये निम्न टिप्पणी अंकित की गई है **" कृपया परमिट जारी करने का कष्ट करें "।** इस सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार हैः–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.2.2018 के संकल्प सं0–15 में बाजावाला–मंसदावाला–कौलागढ़–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग पर परमिट जारी करने के संबध में निर्धारित शर्तो के साथ 15 स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उपरोक्त मार्ग पर अन्य आवेदको के साथ श्री रवि पुत्र श्री सुरेश चन्द का आवेदन पत्र भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तथा प्राधिकरण के आदेशो के अनुपालन में कार्यालय पत्र स0 05/आरटीए/स्वीकृति पत्र/2018 दिनांक 15

मार्च, 2018 के द्वारा स्वीकृति पत्र प्राधिकरण द्वारा आरोपित इस शर्त के साथ जारी किया गया था, कि उक्त मार्ग पर 15 परमिट जारी हो जाने के पश्चात जारी अन्य स्वीकृति पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगे।

श्री रवि पुत्र श्री सुरेश चन्द्र के द्वारा वाहन का क्रय कर जब कार्यालय में वाहन के पंजीयन/परमिट हेतु सम्पर्क किया तब तक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये 15 परमिट अन्य आवेदको को जारी किये जा चुके थे । चूंकि वाहन आवेदक द्वारा क्रय की जा चुकी थी, इस आधार पर इस वाहन का पंजीयन कार्यालय में कराया गया है, और आवेदक द्वारा वाहन के पंजीयन के समय इस मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी किये जाने हेतु एक आवेदन दिनांक 30.6.2018 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन मार्ग पर रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण अस्थाई परमिट जारी नही किया जा सका था ।

श्री रवि कुमार के द्वारा यह अनुरोध किया गया है, कि उनकी वाहन स0 यू0के0–07टीबी–4112 दिनांक 27.6.2018 जो पंजीयन तिथि से बिना परमिट के कारण खडी है, जिस कारण से वह बैक की किस्त तथा वाहन का टैक्स उन पर चढता जा रहा है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स0 यू0के0–07टी0बी0–4112 मैक्सी कैब यूनियन बैंक आफ इण्डिया से संविदा के अन्तर्गत है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 14– **श्रीमती संगीता नेगी द्वारा प्रेमनगर– नन्दा की चौकी – पौधा– विधौली – डुंगा– भाऊवाला – सुद्वोवाला–प्रेमनगर– सहसपुर–सेलाकुंई–भाऊवाला–डूंगा– कोटडा एवं सम्बद्व मार्गो पर स्थाई सवारी गाडी परमिट प्राप्त करने के आवेदन पर विचार व आदेश।**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.02.2019 में उपरोक्तानुसार 20 परमिट प्रश्नगत मार्ग हेतु प्रथम आगत प्रथम निर्गत के सिद्वान्त पर दिनांक 30.04.2018 तक जारी किये जाने का निर्णय लिया था। प्राधिकरण के उक्त निर्णय के अनुपालन में निर्धारित 16 सामान्य वर्ग के आवेदकों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर, अपनी नई वाहन पंजीकृत कर परमिट प्राप्त कर लिये थे। परन्तु सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत एक आवेदिका श्रीमती संगीता नेगी ने स्वीकृति पत्र प्राप्त कर नई वाहन क्रय कर ली थी। परन्तु मार्ग पर सामान्य श्रेणी की 16 रिक्तियॉ पूर्ण हो जाने के कारण उनको परमिट जारी नहीं किया जा सका। प्राधिकरण ने उक्त आवेदिका को परिचालन पद्वति से प्रश्नगत मार्ग का अस्थाई परमिट दिनांक 25.05.2019 को स्वीकृत किया है, जिस पर वाहन का संचालन हो रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमती संगीता नेगी ने निवेदन किया है कि प्राधिकरण द्वारा जारी स्वीकृति पत्र के आधार पर उन्होंने वाहन का क्रय कर लिया था। परन्तु मार्ग पर स्थाई रिक्ति न होने के कारण उनकी वाहन सं0 यूके07टीबी 3307 को प्राधिकरण द्वारा अस्थाई परमिट जारी किया जा रहा है। अस्थाई परमिट की फीस अत्यधिक होने से उन्हें आर्थिक हानि हो रही हैं। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि उनकी वाहन को इस मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किया जाये।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.02.2018 में उपरोक्त मार्गों के मार्ग समूह(क्लस्टर) हेतु (07 से 12 सीटर, चालक को छोड़कर) चार पहिया, हल्की वाहनो को 20 स्थाई सवारी गाडी परमिट (16 परमिट सामान्य श्रेणी के आवेदको को तथा 04 परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी) स्वीकृत किये गये थे।, जिसमें से 01 परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त नहीं किया गया है।

वर्तमान में इस मार्ग पर 04 सामान्य वर्ग एंव 01 अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. श्री अंकिता पुण्डीर पत्नी सन्दीप कुमार, डुगा विघौली, देहरादून	
2. श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र फतेह सिंह, मरौठा, कुल्हान, देहरादून	
3. श्री विक्की कुमार पुत्र श्री विजय कुमार, 4/43 पोलो व्यू आईएमए, प्रेमनगर, देहरादून	
4. श्री सुचिन कुमार पुत्र छोटेलाल, स्पेशल विंग, प्रेमनगर, देहरादून	
5. श्रीमती तृप्ति आनन्द पत्नी श्री आनन्द किशोर, 106 निर्मल, ब्लाक सी, श्यामपुर,, ऋषिकेश–	**अनुसूचित जाति श्रेणी**

प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 15– **<u>संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 में हरिद्वार केन्द्र के लिये जारी स्वीकृत पत्र के आधार पर क्रय कर पंजीकृत की गई वाहनों को ठेका गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश</u> ।**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 में हरिद्वार केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये ऑटो रिक्शा परमिट स्वीकृत किये थे। परन्तु कुछ प्रार्थियों द्वारा वाहनें क्रय कर ली गई थी। परन्तु निर्धारित समयावधि में अपनी ऑटो रिक्शा वाहन हेतु विभिन्न कारणों से परमिट प्राप्त नहीं कर पाये हैं। निम्नलिखित प्रार्थियों ने प्राधिकरण से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर वाहन क्रय कर पूर्व में वाहनें पंजीकृत करा ली थी। इन्होंने अपनी पंजीकृत वाहनों हेतु ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने का अनुरोध किया है।

1. श्री दीपक पुत्र श्री सुरेश कुमार, दुर्गा नगर, भोपतवाला, हरिद्वार–यूके08टीए 5102(पंजीयन तिथी– 29.11.14)
2. श्री विश्वनाथ चौधरी पुत्र श्री दामोदार चौधरी, 344 गोविन्दनगर, रानीपुर मोड, हरिद्वार––यूके08टीए 4952(पंजीयन तिथी–28.11.14)। (उक्त प्रार्थी को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.02.18 में मद सं0 57(2) के अन्तर्गत रू0 5000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर दिनांक 30.04.2.018 तक परमिट प्राप्त करने का समय प्रदान कया गया था। जो कि उनके द्वारा निर्धारित समय में प्राप्त नहीं किया गया है।)
3. श्री मजहर हसन पुत्र अली हसन, ऐथल बुर्जग, लक्सर हरिद्वार––यूके08टीए 51192(पंजीयन तिथी– 29.11.14)
4. श्री मदन सिंह पुत्र श्री हरिराम, शाहपुर खेडा, हरिद्वार– यूके08टीए 4371(पंजीयन तिथी– 31.10.14)।
5. श्री टेक चन्द पुत्र श्री दर्शनलाल, सुभाष गढ, हरिद्वार– यूके08टीए 5084(पंजीयन तिथी– 29.11.14)।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 16 – **<u>श्री इस्लाम पुत्र श्री यामीन के परमिट स0 ऑटो–5298 के नवीनीकरण एवं परमिट पर नई वाहन के प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध मे प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार व आदेश।</u>**

श्री इस्लाम पुत्र श्री यामीन के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निम्न निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम पर ऑटो परमिट स0 5298 हरिद्वार केन्द हेतु जारी है, मेरे परमिट की वैधता दिनांक 01.11.2012 तक वैध है। मै अपने अपनी

बीमारी के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने पर मैं वाहन का संचालन नही कर पाया था, और इस कारण परमिट नवीनीकरण नही हो पाया था। वर्ष–2014 में एक साल से पुराने परमिटो के रिन्यू पर रोक लगा दी गई थी, इसलिये परमिट रिन्यू हो पाया था। महोदय् इसके बाद प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2018 तथा दिनांक 17.12.2016 में यह आदेश हुये थे, कि एक वर्ष पुराने परमिट जुर्माना जमा करने पर रिन्यू किये जाये। मेरे द्वारा इसी आधार पर परमिट रिन्यू करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने के लिये आवेदन 23.5.2016 में किया था, जिस पर विभाग द्वारा मुझे नई वाहन लगाने की अनुमति दिनांक 20.5.2017 में प्रदान की गई थी। मेरे द्वारा इस अनुमति के आधार पर नई वाहन का क्रय कर हरिद्वार कार्यालय में वाहन का **पंजीयन दिनांक 19.7.2017 मे कराकर पंजीयन स0 यू0के0–07टीए–6084 प्राप्त किया है।**

इसके पश्चात मेरे द्वारा अपनी वाहन को परमिट पर चढाने एवं परमिट रिन्यू करने के लिये कार्यालय में आया तो बताया गया कि परमिट को समाप्त हुये 05 साल से अधिक हो गये है, इसलिये परमिट रिन्यू नही हो सकता है। महोदय् मेरे द्वारा **नई वाहन क्रय की गई है, जो नामदेव फाईनेन्स कम्पनी से फाईनेन्स है, जिसकी हर महीने किश्त जमा करनी पड़ रही है।** महोदय् मेरी गाडी का परमिट न होने से संचालन नही हो पाने से मेरे एवं मेरे परिवार के सामने अत्यधिक आर्थिक संकट उत्पन्य हो रखा हे, और मेरे बच्चे भुखे मरने के कगार पर है। इसलिये आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कि मेरी गाडी पर परमिट चढाकर रिन्यू करने की मेहरवानी करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प स0–9 परमिट नवीनीकरण के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किये गये है– 1 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

इसके उपरांत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.03.2016 एक वर्ष से अधिक विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रो के संबध में प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये थे।

प्राधिकरण ने उपरोक्त तथ्यों पर गम्भीरता से विचारोपरान्त निर्णय लिया कि रू0 7500/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर निम्नलिखित परमिटो का नवीनीकरण सामान्य शर्तो के स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त परमिटो का नवीनीकरण वाहनो के वैध प्रपत्र/औपचारिकतायें पूर्ण करने पर दिनांक 31.3.2017 तक किया जायेगा। तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि जिन परमिटों की वैधता/प्रतिस्थापन दिनांक 30.11.2016 तक समाप्त हुये 05 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है, यदि उनके नवीनीकरण/प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्राप्त होते है, तो उन प्रार्थना पत्रो का निस्तारण सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से परीक्षण/औपचारिकतायें पूर्ण कराने के पश्चात निर्धारित प्रशमन शुल्क रू0 7500/ जमा करने पर दिनांक 31.3.2017 तक किया जायेगा।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 17.12.2016 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है:–

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि जिन परमिटों की वैधता/प्रतिस्थापन दिनांक 30.11.2016 तक समाप्त हुये 05 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है, यदि उनके नवीनीकरण/प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्राप्त होते है, तो उन प्रार्थना पत्रो का निस्तारण सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से परीक्षण/औपचारिकतायें पूर्ण कराने के पश्चात निर्धारित प्रशमन शुल्क रू0 7500/– जमा करने पर दिनांक 31.5.2017 तक किया जायेगा।

इसके उपरांत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प स0–9 व 5,12 के संबध में श्री विजयवर्धन ड़डरियाल के द्वारा दायर अपील स0 01/2017 में मा0 राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है–

ORDER

The revision is hereby allowed and the impugned order (Annexure III),dated 10-09-2014 passed by Regional Transport authority, Dehradun; specifically on Agenda/Resolution no. 5, 9 & 12 is declared illegal, improper and without jurisdiction.

File be consigned to the record room.

मा0 न्यायालय के आदेश के उपरान्त ऐसे सभी परमिट जिनके वैधता समाप्त हुये 05 वर्ष से कम समय हुया है, उनके संबध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 से पूर्व निर्धारित किये गये शास्ति के आधार परमिटो के नवीनीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री इस्लाम पुत्र श्री यामीन के परमिट स0 ऑटो–5298 की वैधता दिनांक 01.12.2017 मे समाप्त है, जिसकी अवधि 05 वर्ष से अधिक है। श्री इस्लाम के द्वारा इस परमिट पर प्रतिस्थापन हेतु प्राप्त अनुमति के आधार पर क्रय कर पंजीयन करायी गई वाहन स0 यू0के0–07टीए–6084 को परमिट पर प्रतिस्थापन की अनुमति एवं परमिट नवीनीकरण किये जाने की प्रार्थना की है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 17– **<u>टाटा मैजिक एक्सपेस वाहन पर ठेका परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार व आदेश।</u>**

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.2.201 में संकल्प स0–38 में टाटा मैजिक एक्सप्रेस वाहन पर ठेका परमिट जारी किये जाने के संबध में निम्न आदेश परित किये गये है–

" इस मद के अन्तर्गत टाटा कम्पनी द्वारा निर्मित मॉडल टाटा मैजिक एक्सप्रेस वाहन को मैक्सी कैब परमिट जारी/स्वीकृत करने हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। टाटा मैजिक एक्सप्रेस वाहन चालक सहित 08 सीटर, बन्द बॉडी वाहन है तथा वाहन में 02 सिलेन्डर है। इस वाहन का संचालन पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। यह वाहन केवल मैदानी मार्गों पर ही संचालन हेतु उपयुक्त है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि टाटा मैजिक एक्सप्रेस वाहनों को उदार नीति के अन्तर्गत ठेका गाडी परमिट जारी किये जाते हैं तो इन वाहनों का अनाधिकृत रूप से संचालन होने की संभावना बनी रहेगी। इन वाहनों को परमिट केवल मैदानी मार्गो पर ठेका गाडी परमिट पर संचालन की अनुमति प्राधिकरण द्वारा बैठक में प्रदान की जायेगी। प्राधिकरण की बैठक से पूर्व यदि किसी आवेदक द्वारा ठेका परमिट हेतु आवेदन किया है, तो उस पर परमिट की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि किसी आवेदक द्वारा मैदानी मार्गो पर नई स्थाई सवारी गाडी परमिट/पीपीआरएस परमिट स्वीकृति पर या स्थाई सवारी गाडी/ठेका गाडी परमिट/पीपीआरएस परमिटों पर संचालित वाहनों के स्थान पर उक्त प्रकार की वाहनों से प्रतिस्थापन हेतु आवेदन किया जाता है तो उनको सचिव द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।"

इस सम्बन्ध में निम्न आवेदको के द्वारा टाटा मैजिक एक्सप्रेस वाहन पर देहरादून संभाग के ठेका परमिट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है।

1– श्री गंगा रतन पुत्र श्री हरी राम नि0 114 लाटोवाली, कनखल, हरिद्वार ।
2– श्री रामराज पुत्र श्री राम लखन नि0 लेन न0–8 शिवालिक व्यू, नत्थनपुर नेहरूग्राम, देहरादून ।
3– श्री सूरज पुत्र श्री रमेश कुमार नि0 मियांवाला पो0 हर्रावाला, देहरादून ।
4– श्री गुरूद्दीन पुत्र श्री सुखराम नि0 संतोषनगर मोहकमपुर खुर्द देहरादून ।
5– श्री आशीष पुत्र श्री चमन लाल नि0 निम्बूवाला गढी कैण्ट, देहरादून ।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करें ।

मद सं0 18 **टाटा आयरिश चार पहिया वाहन को जारी परमिट पर तीन पहिया ऑटो वाहन से प्रतिस्थापन किये जाने के सम्बन्ध मे विचार व आदेश।**

श्री दीपक जैन, नई बस्ती गॉधी ग्राम, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 20.02.2019 के द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 यूके 07टीए 7360 है जो कि डीजल चलित टाटा आईरिश है। प्रार्थी का वाहन काफी समय से घर पर ही खडा है जो अब न चलने की स्थिति में नहीं है, प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उक्त वाहन स्थान पर और लोगों की भॉति प्रार्थी को भी बजाज एल0पी0जी0 ऑटो से प्रतिस्थापन करने की आज्ञा देने की कृपा करें।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.05.2015 में टाटा आयरिश चार पहिया वाहनों को देहरादून केन्द्र 25 कि0मी0 रेडियस के ठेका गाडी परमिट जारी किये गये थे। परन्तु इन वाहनों का संचालन लाभप्रद न होने के कारण परमिट धारकों को आर्थिक हानि हो रही थी। जिसके क्रम में उन्होंने अपने परमिटो पर तीन पहिया ऑटो परमिट की स्वीकृत प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 17.12.2016 में उक्त मामला प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त सकंल्प स0–6(अनुपूरक) के द्वारा निर्णय लिया कि इन आवेदको की परेशानी को देखते हुये उन्हे उनके परमिटो पर तीन पहिया

ऑटो रिक्शा वाहन (पेट्रोल/एल0पी0जी0) प्रतिस्थापन की अनुमति प्रदान की जाती है। सभी 18 आवेदको को इसके लिये 31.5.2017 तक का समय प्रदान किया जाता है।

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में कुछ परमिट धारकों के द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक 31.05.2017 तक नई वाहन प्रस्तुत कर परमिट प्रतिस्थापन कर लिया था। परन्तु कुछ आवेदकों के द्वारा विभिन्न कारणों से अभी तक वाहन प्रतिस्थापन नहीं किया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0– 19 **राजाजी राष्ट्रीय पार्क चीला रेंज मे पर्यटकों हेतु जिप्सियों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे विचार व आदेशः–**

चीला रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व फारेस्ट में पर्यटको को जंगल सफारी उपलब्ध कराने हेतु टैक्सी वाहनो के परमिट जारी करने हेतु निम्नलिखित आवेदकों ने अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं :–

क्र० सं०	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	अन्य विवरण
1.	28.11.18	श्री रोहित रावत पुत्र श्री मोहन सिंह, 65 मोतीचूर, हरिपुर कलॉ, देहरादून।	
2.	–तदैव–	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, मोतीचूर रेंज, रायवाला, देहरादून।	
3.	–तदैव–	श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह, मोतीचूर हरीपुर कलॉ, देहरादून।	
4.	–तदैव–	श्री मोहित पुत्र श्री मोहन सिंह, 65 मोती चूर, हरिपुर कलॉ, देहरादून।	
5.	25.01.19	श्री प्यारेलाल पुत्र श्री महेशानन्द, गंगा भोगपुर, मल्ला यमकेश्वर, पौडी गढवाल।	एचआर46सी201
6.	–तदैव–	श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, 12 गंगाभोगपुर, पौडी गढवाल।	यूके07डीएफ9904
7.	–तदैव–	श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र, गंगा, भोगपुर यमकेश्वर, पौडी गढवाल।	यूक 14टीए 0526
8.	25.01.2019	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री मुरलीधर निवासी– प्रतीत नगर, डांडी रायवाला, देहरादून।	यूके 14टीए 1587
9.	25.01.2019	श्री सूरज सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, गंगा भोगपुर, यमकेश्वर पौडी	यूके 04टीए 7868
10.	25.01.2019	श्री महेश कुमार पुत्र श्री राधेलाल, पो0ओ0–गंगा भोगपुर, यमकेश्वर पौडी गढवाल।	यूके 14टीए 0688
11.	25.01.2019	श्री वीर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, चीला गढवाल फारेस्ट कॉलोनी, पौडी गढवाल	यूके 14टीए 8592
12.	25.01.2019	श्री शिवचरण पुत्र श्री मंगत राम, यमकेश्वर, गंगाभोगपुर मल्ला, पौडी गढवाल	यूके 14टीए 1319
13.	25.01.2019	श्री कविन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, म0 नं0– 63, गंगा भोगपुर, मल्ला यमकेश्वर, पौडी गढ़वाल।	यूके 14टीए 1168
14.	25.01.2019	श्री समीर चन्द्र पुत्र श्री जर्नादन प्रसाद, गंगा भोगपुर, मल्ला यमकेश्वर, पौडी गढ़वाल।	
15.	25.01.2019	श्री संजय प्रसाद पुत्र श्री शम्भू प्रसाद वार्ड नं0 10, भटटा् कॉनोनी गढी रोड, श्यामपुर, ऋषिकेश।	
16.	25.01.2019	श्री खुशी राम रणकोटी पुत्र श्री घनानन्द, बी 57 चीला रोड, गंगा भोगपुर मल्ला, यमकेश्वर पौडी	
17.	25.01.2019	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री गोर्वधन प्रसाद, 25 गंगा भोगपुर, यमकेश्वर पौडी	यूके 14टीए 1314
18.	29.01.2019	श्री अशोक सिंह नेगी पुत्र श्री आन्नद सिंह, 290 चिल्ला, पौडीं गढवाल।	यूके 14टीए 0978
19.	02.02.2019	श्री सुधीर शर्मा पुत्र श्री दर्शनलाल, भोगपुर मल्ला, पौडी गढवाल	यूके07टीबी 4804
20.	12.02.2019	श्री सिमरन कुकरेती पत्नी श्री अजय कुकरेती, 22 राम भवन हरिपुर कला, देहरादून	यूके14टीए0687

21.	**12.02.2019**	श्री श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह, रायवाला, देहरादून	यूके14टीए 0845
22.	**16.02.2019**	श्री जाकीर हुसैन पुत्र इदू अहमद, मोतीचूर हरिपुर, देहरादून।	
23.	**26.02.2019**	श्री मनोज सिंह पुत्र श्री टीका सिंह, निवासी– 2/88 चीला रेज, पौडी गढवाल।	यूके 14टीए 1319
24.	**26.02.2019**	श्रीमती मीनाक्षी जुयाल पत्नी श्री अरूण जुयाल, शिव विहार कॉलोनी गुमानीवाला, ऋषिकेश	यूके 07 टीबी 1868
25.	**26.02.2019**	श्री कविन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, 63 गंगाभोगपुर, पौडी गढवाल।	यूके07टीबी 25455

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 17.12.2016 में प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है–

"इस मद के अन्तर्गत राजाजी राष्ट्रीय पार्क चीला रेंज मे पर्यटकों हेतु जिप्सियों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व मे 15 वाहनो को स्थाई टैक्सी/मैक्सी कैब परमिट जारी किये गये थे। वन क्षेत्राधिकारी राजा जी राष्ट्रीय पार्क ने 25 और वाहनो को परमिट जारी किये जाने की संस्तुति के आधार पर प्राप्त 08 आवेदन पत्रो को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.216 मे स्वीकृति प्रदान की गई थी । लेकिन आवेदको के द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि तक अपने परमिट प्राप्त नही किये गये थे । वर्तमान में 08 आवेदन पत्रो के साथ निम्नलिखित कुल 14 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है–

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त प्रार्थियो को एक–एक स्थाई टैक्सी/मैक्सी कैब परमिट मोतीचूर केन्द्र से 40 कि0मी0 अर्द्वव्यास के लिये निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है–

1. **प्रत्येक सीजन के प्रारम्भ मे वाहनो की स्वस्थता की जॉच करायी जायेगी । परमिट पर किसी भी दशा में 17 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन संचालित नही की जायेगी।**
2. **वाहन टैक्सी रंग संयोजन मे होगी ।**
3. **पार्क मे संचालित करने वाले चालक का लाईसेंन्स कम से कम 05 वर्ष पुराना होना अनिवार्य होगा।**
4. **वाहन बस स्टेशन अथवा सार्वजनिक स्थान पर खड़ी नही की जायेगी । केवल पार्किग मे खड़ी की जायेगी।**
5. **वाहन मे निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियॉ नहीं बैठाई जायेगी ।**
6. **वाहन का प्रयोग किसी भी दशा मे स्टैज कैरिज के रूप में नही किया जायेगा।**
7. **वाहन स्वामी को निर्देश दिये जाते है, कि वे परमिट की वैधता समाप्त होने से 15 दिन पूर्व अपने परमिट का नवीनीकरण अवश्य करा लें।**
8. **परमिट प्राप्त करते समय आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।**
9. **वाहन को नदी नालों एवं जल स्रोतो के आसपास नही धोया जायेगा"**

राजाजी नेशनल पार्क हेतु परमिट जारी करने के सम्बन्ध में सफारी वेलफेयर सोसाईटी (रजि0) राजाजी नेशनल पार्क (चिल्ला) का वनक्षेत्राधिकारी, चीला रेजं को सम्बोधित पत्र दिनांक 26.01.2019 प्राप्त हुआ है। इस पत्र में सोसायटी के द्वारा वनक्षेत्राधिकारी से 20– 30 परमिटों के लिये एनओसी प्रदान करने का अनुरोध किया है। उक्त पत्र को वन क्षेत्राधिकारी, चीला

रेंज राजाजी टाईगर रिजर्व के द्वारा दिनांक 29.01.19 को अनुमोदित किया गया है। वर्तमान में राजाजी नेशनल पार्क हेतु उपरोक्त शर्तों के अधीन 35 ठेका गाडी परमिट जारी किये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0– 20 **<u>देहरादून– डोईवाला– जौलीग्रान्ट एंव सम्बद्व नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>**

देहरादून–डोईवाला एवं सम्बद्व नगर बस मार्ग पर पूर्व में 50 स्थाई सवारी गाडी परमिटों पर वाहनो का संचालन हो रहा था। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.2.2018 में प्रश्नगत मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया थाः–

"प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री हरवशं लाल पुत्र श्री काल्लू राम, गॉव– बद्रीपुर, तिलवाड़ी, देहरादून एंव श्री हुक्म चन्द 1/177 चुक्खूवाला देहरादून को देहरादून–डोईवाला एंव सम्बन्धित मार्ग हेतु एक–एक स्थायी सवारी गाड़ी परमिट सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत किये जाते है । स्वीकृत परमिट प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.16 में निर्धारित नीति के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण कर नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर सचिव द्वारा दिनांक 15.05.2018 तक परमिट जारी किये जायेगे।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि उपरोक्त दोनों आवेदकों के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत परमिट प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो मद में उल्लेखित अनुसूचित जाति के दो अन्य आवेदक श्री कमल कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, ओखला सुन्दरवाला, रायपुर, देहरादून एंव श्री अजय सोनकर पुत्र श्री सोहन लाल सोनकर, 4/1 ड़गवाल मार्ग देहरादून को प्रश्नगत मार्ग का एक–एक स्थायी सवारी गाडी परमिट सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत किये जाता है। स्वीकृत परमिट प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.16 में निर्धारित नीति के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण कर नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर सचिव द्वारा दो माह का समय प्रदान कर परमिट जारी किये जायेगे।"

प्राधिकरण के उक्त आदेशो के अनुपालन में श्री हरबंश लाल के द्वारा नई वाहन पर स्थाई सवारी गाडी परमिट प्राप्त कर लिया है, जबकि श्री हुकुम चन्द के द्वारा निर्धारित अवधि में परमिट प्राप्त नही किया गया है, और परमिट पर पुरानी वाहन से परमिट जारी किये जाने हेतु प्राधिकरण के आदेश के विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई है, जो वर्तमान मे विचाराधीन है। श्री हुकुम चन्द के द्वारा प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्धारित समय के अन्तर्गत परमिट प्राप्त न करने के कारण उक्त रिक्ति के सापेक्ष परमिट के अन्य प्रतिक्षारत आवेदक श्री कमल कुमार के द्वारा अस्थाई परमिट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी वाहन स0 यू0के0–07पीए–1311 को अस्थाई परमिट जारी किया गया है। इस मार्ग के कुछ परमिट धारको के द्वारा अपनी मार्ग पर अपनी वाहनों का संचालन न किये जाने के कारण निम्नलिखित आवेदको को 04 माह का अस्थाई परमिट जारी किया गया था–

क्र0स0	नाम	अस्थाई परमिट जारी करने की अवधि
1	श्री हरंबश लाल	दिनांक 07.8.2018 से 04.12.2018
2	श्री हुकुम चन्द	दिनांक 09.10.2018 से 08.2.2019
3	श्री विजयवर्धन ड़डरियाल	दिनांक 11.10.2018 से 10.02.2019
4	श्री मनीष ड़गवाल	दिनांक 16.8.2018 से 15.2.2019')

वर्तमान में मार्ग पर स्वीकृत 52 परमिटो के सापेक्ष 51 वाहन संचालित हो रहे है, इस मार्ग पर केवल परमिट सं0 पीएसटीपी–1796 पर वाहन का संचालन नही हो रहा है, उक्त परमिट श्री कमल सिह रावत के नाम पर जारी हैं तथा परमिट की वैधता दिनांक 26.10.2015 में समाप्त हो चुकी है। इस मार्ग पर जारी किये गये अस्थाई परमिटो में अन्तिम परमिट श्री विजयवर्घन ड़डरियाल के परमिट की वैधता दिनांक 10.2.2019 में समाप्त होने के उपरांत मार्ग पर 01 रिक्ति विद्यमान हो रही है। उक्त रिक्ति के सापेक्ष क्रमवार निम्नलिखित आवेदको के द्वारा अस्थाई परमिट हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किये गये है–

1– श्री विजयवर्घन ड़डरियाल दिनांक 08.2.2019 क्र0स0– 19
2– श्री हुकुमचन्द दिनांक 08.2.2019 क्र0स0– 20

3– श्री हरबंश लाल दिनांक 08.2.2019 क0स0– 21

श्री हुकुम चन्द के द्वारा दिनांक 23.1.2019 तथा श्री विजयवर्घन ड़डरियाल के द्वारा दिनांक 05.2.2019 मे भी एक–एक आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जो कि कार्यालय रजिस्ट्र में क्रमांक स0–17 व 18 पर अंकित है, परन्तु उस समय मार्ग पर कोई रिक्ति विद्यमान नही थी।

श्री हुकुमचन्द के द्वारा अपने अस्थाई प्रार्थना पत्र के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र भी संलग्न किया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है, कि उनके द्वारा इस मार्ग के स्थाई परमिट हेतु मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका स0 1295 दाखिल की है, जो विचाराधीन है, इसलिये उक्त रिक्ति के सापेक्ष उन्हे अस्थाई परमिट जारी किया जाये। इसके साथ अपने प्रार्थना पत्र में यह भी सूचित किया है, कि वाहन स0 यू0के0–07पीए–0458 (श्री विजय वर्धन ड़डरियाल) प्रेमनगर–परवल मार्ग पर स्थाई परमिट स0 पीएसटीपी–2036 पर संचांलित थी, जिसे अस्थाई रूप में सलेण्डर कर नया अस्थाई परमिट देहरादून –डोईवाला मार्ग का प्राप्त कर चलाया जा रहा है, पुनः उस स्थाई परमिट पर न जाकर अस्थाई की मॉग कर रहा है, जो अवैधानिक है, जिसे मूल परमिट पर भेजा जाना चाहिए तथा कमल कुमार के द्वारा परमिट स0 पीएसटीपी–2165 गाडी न0 यू0के0–07पीए–1311 मार्ग डाट मन्दिर–डालनवाला का सलेण्डर कर देहरादून–जौलीग्रान्ट पर अस्थाई परमिट प्राप्त कर संचालित किया जा रहा है।

श्री विजयवर्धन ड़डरियाल के द्वारा भी दिनांक 20.2.2019 में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निवेदन किया है– *'' श्री हुकुम चन्द गोप द्वारा देहरादून –डोईवाला रूट सिटी बस परमिट लेने का आग्रह किया हुया है, उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे भी उक्त रूट के परमिट लेने के लिये वाद दायर किया गया है । जिसमें प्रार्थी को आपत्ति है, कि श्री हुकुम चन्द गोप देहरादून–डोईवाला रूट का परमिट न दिया जाये । क्योंकि उक्त व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के नाम पर बसों के परमिट लेने के बाद उन परमिट पर लाभ अर्जित कर विक्रय का दिया जाता है। जैसे प्रेमनगर–रायपुर का परमिट आर0टी0ए0 की पॉलिसी के तहत बेराजगारों के लिये था, जिसके श्री हुकुम चन्द गोप द्वारा रायपुर–प्रेमनगर सिटी बस का रूट परमिट पॉलसी के तहत शपथ पत्र द्वारा लिया गया, जिसका परमिट न0 टी0एसटी0पी–1993 है। उस परमिट पर उनके द्वारा यू0के0–07पीए–0479 बस लगा रखी थी । सूत्रों द्वारा पता चला है, कि इनके द्वारा उक्त रूट का परमिट रू0 5.00 लाख मे बेचकर लाभ अर्जित किया गया है, एंव सिटी बस का न0*

यू0के0–पीए–0479 को वहां से हस्तान्तरित कर देहरादून–डोईवाला रूट पर अस्थाई परमिट पर लगा दिया गया जो कि गलत है। जबकि देहरादून–डोईवाला रूट का परमिट पूर्व में इनकी माता जी के नाम से आर0टी0ए0 द्वारा संस्तुति की गई थी, लेकिन इनके आर0टी0ए0 की पॉलिसी के तहत नई बस ना ला सकने के कारण इनकी माता के नाम पर परमिट स्वीकृत नही हो पाया, तत्पश्चात इनके द्वारा अपनी माता के नाम से परमिट को कारणवश अपने नाम स्वीकृत करा लिया गया। एक सिटी बस का परमिट एम0डी0डी0ए0 से नबादा रूट का इनकी पुत्री के नाम पर है, जो वर्तमान मे इनके द्वारा परमिट को सलेण्डर किया हुया है। श्री हुकुम चन्द गोप द्वारा अपने परिवारों के नाम से परमिट आवंटन कराने के पश्चात अपने नाम पर परमिट आंवटन करा लेने की परम्परा सी प्रतीत होती है। जबकि श्री हुकुम चन्द गोप द्वारा रायपुर–प्रेमनगर सिटी बस रूट का परमिट आर0टी0ए0 से पॉलिसी के तहत प्राप्त कर लिया गया था, तत्पश्चात उक्त श्री हुकुम चन्द गोप को अब वर्तमान में कोई परमिट आवंटन न किया जाये एवं देहरादून–डोईवाला रूट के परमिट को निरस्त किया जाय। ''

वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग पर 01 स्थाई रिक्ति के सापेक्ष 03 अस्थाई परमिट हेतु आवेदन प्राप्त हैं। जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण सचिव् द्वारा मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी नही किया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद स0–21 **श्री सतीश शर्मा के प्रार्थना पत्र (परमिट स0 सीसी0–1441) ठेका बस परमिट पर प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली–2011 के नियम–71 के उल्लंघन पर निर्धारित प्रश्मन शुल्क से मुक्त रखने संबध में विचार व आदेश ।**

श्री सतीश चन्द्र शर्मा निवासी–190 भाऊवाला रोड, सुद्दोवाला देहरादून के द्वारा अध्यक्ष, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को दिनांक 26.10.2018 में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें मुख्य रूप में यह उल्लेख किया गया है, कि उत्तराखण्ड मोटरयान अधिनियम–2011 के नियम–71 में दी गई व्यवस्था के अर्न्तगत उनकी वाहन का संचालन केवल विवाह शादी में किया गया है, इसलिये प्राधिकरण द्वारा इस नियम के उल्लघंन पर आरोपित की गये प्रश्मन शुल्क से उन्हे मुक्त किया जाये। इस संबध में अवगत कराना है किः–

श्री सतीश शर्मा के नाम पर कार्यालय द्वारा ठेका गाडी परमिट स0 सीसी–1441, वाहन स0 यू0के0–07पीसी–0526 बस पर जारी है, जिसकी वैधता दिनांक 15.9.2018 को समाप्त हो चुकी है । ठेका गाड़ी परमिट के संबध में उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली–2011 के नियम 71 (2) में यात्रियों की सूची तथा (5) में लॉग बुक का उद्धरण त्रैमासिक सम्बन्धित प्राधिकरण को भेजे जाने का प्राविधान है।

इस संबध में यह भी अवगत कराना है, कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली–2011 के नियम– 71 का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2290, 2576/2011 तथा 2766/एमएस/2013 दायर की गई थी। उक्त याचिकाओं का निस्तारण करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने दिनांक 27.05.2014 को आदेश पारित किये हैं कि नियमावली में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन कराया जाये। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उपरोक्त मामला संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 8 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

''प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 71 में दिये गये प्राविधान के अनुसार ठेका गाडी परमिट की अतिरिक्त शर्त का अनुपालन नहीं करने/त्रैमासिक विवरण नहीं भेजने पर प्रथम बार मैक्सी कैब वाहनों के लिये रू0 1500/– प्रशमन शुल्क तथा 12 से अधिक सीटिंग क्षमता वाले वाहनों के लिये रू0 2500/– प्रशमन शुल्क वसूला जायेगा। द्वितीय बार शर्त का पालन न किये जाने पर सचिव द्वारा मोटर यान अधिनियम–1988 की धारा 86(4) में प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत वाहन के परमिट को अधिकतम 06 माह के लिये निलम्बित किया जा सकेगा तथा तृतीय बार अपराध की पुनरावृति होने पर परमिट के विरूद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु मामले को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यहित में उपरोक्त निर्धारित नीति एंव प्रशमन शुल्क की दरों में संशय व दोहराव न रहे। इस हेतु उक्त नीति व प्रशमन शुल्क की दरें अक्टूबर, 2014 की प्रथम तिथि से प्रभावी होंगी। संशोधित नीति व दरों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।''

इसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 945/ix-1/2015 दिनांक 20.11.2015 के द्वारा नियम 71 (2) में यात्रियों की सूची तथा (5) में लॉग बुक का उद्धरण त्रैमासिक सम्बन्धित प्राधिकरण को भेजी जाने का प्राविधान लोप कर दिया गया है।

कार्यालय द्वारा जारी ठेका गाडी परमिट सं0 1441 की पत्रावली में परमिट वैधता की अवधि में दिनांक 20.11.2015 से पूर्व में निर्धारित त्रैमासिक तिथियों की यात्रियों की सूची एंव लॉग बुक सूचना उपलब्ध नहीं हैं और ना ही परमिट धारक द्वारा सूचना भेजे जाने सम्बन्धी कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार माह अक्टूबर, 2014 से नवम्बर, 2015 का रू0 12,500.00 प्रशमन शुल्क देय होता है।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली–2011 के नियम–71 में ठेका गाडी के लिये निर्धारित की गई शर्तो में यह भी उल्लेखित है, कि **''परन्तु इस नियम की कोई बात किसी विवाह पार्टी को ले जाने के लिये किराये पर लिये गये किसी ठेका गाड़ी पर लागू नही होगी ।''**

परमिट धारक श्री सतीश शर्मा के द्वारा इस नियम में उल्लेखित की गई इस बिन्दु के आधार पर अपना प्रत्यावेदन दिनांक 28.5.2018 में प्रस्तुत किया था, कि उनके द्वारा अपनी वाहन का संचालन केवल विवाह पार्टी में किया गया है, इस संबध में उनके द्वारा एक शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है, और इस आधार मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये प्रश्मन शुल्क से मुक्त रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

परमिट धारक को ठेका गाडी परमिट सीसी–1441 ठेका वाहन के संचालन हेतु समस्त देहरादून एवं पौडी संभाग के मार्गो हेतु जारी किया गया था, वाहन का संचालन केवल विवाह पार्टी में किया गया है, इसका कोई प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नही है । कार्यालय प्रर्वतन शाखा की आख्यानुसर परमिट की वैधता अवधि 16.09.2013 से 15.09.2018 के मध्य में परमिट पर संचालित वाहन स0 यू0के0–07पीसी–0526 का एक चालान हुआ है, जो कि वाहन के प्रपत्र प्रस्तुत करने के अभियोग में किया गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, कि परमिट धारक द्वारा अपने परमिट के निरस्त हेतु कार्यालय में आवेदन पत्र दिनांक 28.5.2018 में प्रस्तुत किया गया था, और वर्तमान में परमिट की वैधता दिनांक 15.9.2018 को समाप्त हो चुकी है।

अतः प्राधिकरण मामले मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 – 22 **विक्रम टैम्पो वाहनो को स्टेज कैरिज परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध मे विचार व आदेशः –**

विक्रम टैम्पो वाहनो को स्टेज कैरिज परमिट स्वीकृत/जारी करने का मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.02.2018 के मद सं0 28 के अन्तर्गत निम्नवत् प्रस्तुत किया गया था–

विक्रम टेम्पो वाहनो का संचालन स्टेज कैरिज के रूप मे करने तथा इन वाहनो के संचालन हेतु मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2016 में मद स0–9 द्वारा मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि 07+1 सीटर विक्रम टैम्पो वाहनों /मैक्सी कैब वाहनों को स्टैज कैरिज के रूप में संचालित करने हेतु निम्नलिखित 18 मार्गों को वर्गीकृत किया जाता है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 (3) (ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मंजिली गाडी के लिये मार्ग निर्धारित करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

1– सब्जी मंडी–लालपुल तिराहा (सहारनपुर रोड़) से महन्त इंद्रेश हॉस्पिटल–कारगी चौक–सरस्वती विहार–अजबपुरकला– धर्मपुर–पुलिस लाईन–रेलवे स्टेशन मार्ग (कुल दूरी– 9.0 किमी0)।

2– आईएसबीटी से मोथरोवाला–दूधली मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 16 किमी0)।

3– परेडग्राउण्ड–लाडपुर–जोगीवाला–रिस्पना–आईएसबीटी मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 15.5 किमी0)।

4– जोगीवाला–बद्रीपुर–नवादा–डिफेन्स कॉलोनी–रिस्पना–आराघर–सीएमआई हॉस्पिटल–प्रिंस चौक– तहसील– दर्शनलाल चौक–परेडग्राउण्ड (मार्ग की लम्बाई – 13.0 किमी0)।

5– एस्लेहॉल–दिलाराम चौक–हाथीबड़कला–विजय कॉलोनी–सर्किट हाउस–बीजापुर गेस्ट हाउस–मिलिट्री हॉस्पिटल–डाकरा–गढ़ीकैन्ट–टपकेश्वर मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 8.5 किमी0)।

6– ग्रेट वैल्यू होटल चौराहे से दिलाराम बाजार–मयूर ऑटो–सालावाला–हाथीबड़कला–सर्किट हाउस–सप्लाई डिपो–अनारवाला–जोहड़ीगांव–भगवन्तपुर मोड़–मसूरी रोड़–मालसी–डायवर्जन मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 15.5 किमी0)।

7– परेडग्राउण्ड–मालदेवता मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 11.5 किमी0)।

8– परेडग्राउण्ड–सर्वेचौक–ई0सी0 रोड़–नैनी बैकरी–यूकेलिप्टिस मोड़–दिलाराम–ग्रेट वैल्यू होटल चौराहा–साकेत विहार–कण्डोली–बाला सुन्दरी मन्दिर कैनाल रोड़–धोरण मोड़–राजपुर रोड़ एन्कलेव–आई0टी0 पार्क–राजेश्वर नगर–गुजराड़ा–तिब्बती कॉलोनी–मसूरी बाईपास–परिवहन आयुक्त कार्यालय– कुल्हान मार्ग(मार्ग की लम्बाई – 11.0 किमी0)।

9– परेडग्राउण्ड से दून हॉस्पिटल–एमकेपी–सीएमआई अस्पताल–आराघर–धर्मपुर–माता मंदिर–सरस्वती विहार चौक–बाईपास–बंगाली कोठी–पुलिस चौकी बाईपास–नवीन सचिवालय कॉलोनी–दून विश्वविद्यालय–इन्द्रेश हॉस्पिटल–मोथरोवाला चौक मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 9.8 किमी0)।

10– कुठालगेट–एस्लेहॉल मार्ग वाया मालसी–डियर पार्क (मार्ग की लम्बाई – 11.5 किमी0)।
11– घण्टाघर–सीमाद्वार–मेहूवाला–तेलपुर चौक मार्ग। (मार्ग की लम्बाई – 10.5 किमी0)।
12– प्रेमनगर–ठाकुरपुर मोड़–महेन्द्र चौक–उम्मेदपुर–परवल–शिमला बाईपास मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 9.0 किमी0)।
13– प्रेमनगर–चन्द्रबनी चौक मार्ग वाया पंडितवाड़ी, बल्लीवाला चौक, सब्जीमंडी–आईटीआई–शिमला बाईपास चौक–आईएसबीटी(मार्ग की लम्बाई – 12.0 किमी0)।
14– प्रेमनगर–रेलवे स्टेशन मार्ग वाया बल्लीवाला चौक–सहारनपुर चौक (मार्ग की लम्बाई – 8.5 किमी0)।
15– प्रेमनगर–घण्टाघर वाया बल्लूपुर–किशननगर चौक–कनाट प्लेस(मार्ग की लम्बाई – 8.5 किमी0)।
16– परेडग्राउण्ड–क्लेमनटाउन मार्ग –वाया सहारनपुर चौक–निरंजनपुर–माजरा– आईएसबीटी–सुभाषनगर(मार्ग की लम्बाई–11.0 किमी0)।
17– आईएसबीटी–पेलियो–नयागांव मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 18.0 किमी0)।
18– बाजावाला–मसन्दावाला–कौलागढ़–ओएनजीसी–राजेन्द्रनगर–किशननगर चौक–बिन्दाल पुल–कनाट प्लेस– घण्टाघर–परेडग्राउण्ड मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 8.5 किमी0)।

शासन की अधिसूचना स0 972/ix-1/50 (2015)/2016 द्वारा उक्त 18 मार्गो को मंजिली गाड़ी चलाने के लिये निर्मित किया गया है।

उपरोक्त मार्ग निर्मित होने की सूचना एवं विक्रम वाहनो को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने का मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के मद स0 25 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

''प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विक्रम टैम्पो परमिट धारको से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गो पर स्टेज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर लिये जाय तथा आगामी बैठक मे विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाये।''

देहरादून केन्द्र से वर्तमान में 25 कि0मी0 रेडियस हेतु लगभग 797 परमिट जारी है। विक्रम यूनियन देहरादून द्वारा वर्तमान मे देहरादून केन्द्र से संचालित विक्रम परमिट धारको को स्टेज कैरिज परमिट जारी किये जाने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	आवेदनों की सं0
1	सब्जी मंडी–लालपुल तिराहा (सहारनपुर रोड़) से महन्त इंद्रेश हॉस्पिटल–कारगी चौक–सरस्वती विहार–अजबपुरकला– धर्मपुर–पुलिस लाईन–रेलवे स्टेशन माग	–
2	आईएसबीटी से मोथरोवाला–दूधली मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 16 किमी0)।	–
3	परेडग्राउण्ड–लाडपुर–जोगीवाला–रिस्पना–आईएसबीटी मार्ग	15
4	जोगीवाला–बद्रीपुर–नवादा–डिफेन्स कॉलोनी–रिस्पना–आराघर–सीएमआई हॉस्पिटल–प्रिंस चौक– तहसील–दर्शनलाल चौक–परेडग्राउण्ड	19
5	–एस्लेहॉल–दिलाराम चौक–हाथीबड़कला–विजय कॉलोनी–सर्किट हाउस–बीजापुर गेस्ट हाउस–मिलिट्री हॉस्पिटल–डाकरा–गढ़ीकैन्ट–टपकेश्वर	–
6	ग्रेट वैल्यू होटल चौराहे से दिलाराम बाजार–मयूर ऑटो–सालावाला–हाथीबड़कला–सर्किट हाउस–सप्लाई डिपो–अनारवाला–जोहड़ीगांव–भगवन्तपुर मोड़–मसूरी रोड़–मालसी–डायवर्जन	–
7	परेडग्राउण्ड–मालदेवता मार्ग	23
8	परेडग्राउण्ड–सर्वेचौक–ई0सी0 रोड़–नैनी बैकरी–यूकेलिप्टिस मोड़–दिलाराम–ग्रेट वैल्यू होटल चौराहा–साकेत विहार–कण्डोली–बाला सुन्दरी मन्दिर कैनाल रोड़–धोरण मोड़–राजपुर रोड़ एन्कलेव–आई0टी0 पार्क–राजेश्वर नगर–गुजराड़ा–तिब्बती कॉलोनी–मसूरी बाईपास–परिवहन आयुक्त कार्यालय– कुल्हान मार्ग	–
9	परेडग्राउण्ड से दून हॉस्पिटल–एमकेपी–सीएमआई अस्पताल–आराघर–धर्मपुर–माता मंदिर–सरस्वती विहार चौक–बाईपास–बंगाली कोठी–पुलिस चौकी बाईपास–नवीन सचिवालय कॉलोनी–दून विश्वविद्यालय–इन्द्रेश हॉस्पिटल–मोथरोवाला चौक मार्ग।	–
10	कुठालगेट–एस्लेहॉल मार्ग वाया मालसी–डियर पार्क	25
11	घण्टाघर–सीमाद्वार–मेहूवाला–तेलपुर चौक मार्ग।	22

12	प्रेमनगर–ठाकुरपुर मोड़–महेन्द्र चौक–उम्मेदपुर–परवल–शिमला बाईपास मार्ग	–
13	प्रेमनगर–चन्द्रबनी चौक मार्ग वाया पंडितवाड़ी, बल्लीवाला चौक, सब्जीमंडी–आईटीआई–शिमला बाईपास चौक–आईएसबीटी	12
14	प्रेमनगर–रेलवे स्टेशन मार्ग वाया बल्लीवाला चौक–सहारनपुर चौक	01
15	प्रेमनगर–घण्टाघर वाया बल्लूपुर–किशननगर चौक–कनाट प्लेस	54
16	परेडग्राउण्ड–क्लेमनटाउन मार्ग	142
17	आईएसबीटी–पेलियो–नयागांव मार्ग	–
18	बाजावाला–मसन्दावाला–कौलागढ़–ओएनजीसी–राजेन्द्रनगर–किशननगर चौक–बिन्दाल पुल–कनाट प्लेस–घण्टाघर– परेडग्राउण्ड	11
	कुल योग	**324**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.02.2018 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये थे किः–

इस मद के अन्तर्गत देहरादून शहर में संचालित विक्रम टेम्पो वाहनो को स्टेज कैरिज परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। देहरादून विक्रम यूनियन के महासचिव एंव अन्य पदाधिकारी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये, उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने विक्रम वाहनो को स्टेज कैरिज के रूप मे संचालन हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत कर दिये गये है, जिस पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने की कृपा करें।

श्री विजयवर्धन ड़डरियाल, अध्यक्ष महानगर बस सेवा द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुये यह कहा गया कि विक्रम वाहनो को स्टैज सवारी गाडी परमिट जारी करना नियमों के विरूद्व है, इसलिये इन वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी नही किये जाये।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने पर संज्ञान मे आया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि विक्रम टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जायेंगे। देहरादून केन्द्र से 797 विक्रम वाहनों को परमिट जारी है। प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 17.12.2016 में शासन द्वारा निर्मित 18 मार्गो पर इन वाहनो के संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके संदर्भ में मात्र 324 विक्रम टेम्पो परमिट धारको के द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किये गये है। यह आवेदन मात्र 10 मार्गो पर आये है, जिसमे भी किसी मार्ग पर आवेदनो की संख्या अत्यधिक है, तो किसी मार्ग पर बहुत कम है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है, कि शासन द्वारा निर्मित सभी 18 मार्गो पर परमिटो की संख्या निर्धारित करने हेतु संयुक्त सर्वेक्षण समिति से आख्या प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशो के अनुपालन में संयुक्त सर्वेक्षण समिति उप–जिलाधिकारी देहरादून, क्षेत्राधिकारी (यातायात), देहरादून सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून की आख्या प्राप्त हुई है। समिति द्वारा निम्नवत् परमिटो की संख्या निर्धारित करने की संस्तुति की गई है::–

देहरादून केन्द्र से वर्तमान में 25 कि0मी0 रेडियस हेतु लगभग 797 परमिट जारी है। विक्रम यूनियन देहरादून द्वारा वर्तमान मे देहरादून केन्द्र से संचालित विक्रम परमिट धारको को स्टेज कैरिज परमिट जारी किये जाने हेतु प्राप्त आख्या निम्नवत है:–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	निर्धारित परमिटो की संख्या
1	सब्जी मंडी–लालपुल तिराहा (सहारनपुर रोड़) से महन्त इंद्रेश हॉस्पिटल–कारगी चौक–सरस्वती विहार–अजबपुरकला– धर्मपुर–पुलिस लाईन–रेलवे स्टेशन माग	40
2	आईएसबीटी से मोथरोवाला–दूधली मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 16 किमी0)।	40
3	परेडग्राउण्ड–लाडपुर–जोगीवाला–रिस्पना–आईएसबीटी मार्ग	60
4	जोगीवाला–बद्रीपुर–नवादा–डिफेन्स कॉलोनी–रिस्पना–आराघर–सीएमआई हॉस्पिटल–प्रिंस चौक– तहसील–दर्शनलाल चौक–परेडग्राउण्ड।	50
5	–एस्लेहॉल–दिलाराम चौक–हाथीबड़कला–विजय कॉलोनी–सर्किट हाउस–बीजापुर गेस्ट हाउस–मिलिट्री हॉस्पिटल–डाकरा–गढ़ीकैन्ट–टपकेश्वर।	30
6	ग्रेट वैल्यू होटल चौराहे से दिलाराम बाजार–मयूर ऑटो–सालावाला–हाथीबड़कला–सर्किट हाउस–सप्लाई	30

	डिपो–अनारवाला–जोहड़ीगांव–भगवन्तपुर मोड़–मसूरी रोड़–मालसी–डायवर्जन।	
7	परेडग्राउण्ड–मालदेवता मार्ग ।	50
8	परेडग्राउण्ड–सर्वेचौक–ई0सी0 रोड़–नैनी बैकरी–यूकेलिप्टिस मोड़–दिलाराम–ग्रेट वैल्यू होटल चौराहा–साकेत विहार–कण्डोली–बाला सुन्दरी मन्दिर कैनाल रोड़–धोरण मोड़–राजपुर रोड़ एन्कलेव–आई0टी0 पार्क–राजेश्वर नगर–गुजराड़ा–तिब्बती कॉलोनी–मसूरी बाईपास–परिवहन आयुक्त कार्यालय– कुल्हान मार्ग।	30
9	परेडग्राउण्ड से दून हॉस्पिटल–एमकेपी–सीएमआई अस्पताल–आराघर–धर्मपुर–माता मंदिर–सरस्वती विहार चौक–बाईपास–बंगाली कोठी–पुलिस चौकी बाईपास–नवीन सचिवालय कॉलोनी–दून विश्वविद्यालय–इन्द्रेश हॉस्पिटल–मोथरोवाला चौक मार्ग।	67
10	कुठालगेट–एस्लेहॉल मार्ग वाया मालसी–डियर पार्क।	40
11	घण्टाघर–सीमाद्वार–मेहूवाला–तेलपुर चौक मार्ग।	30
12	प्रेमनगर–ठाकुरपुर मोड़–महेन्द्र चौक–उम्मेदपुर–परवल–शिमला बाईपास मार्ग।	30
13	प्रेमनगर–चन्द्रबनी चौक मार्ग वाया पंडितवाड़ी, बल्लीवाला चौक, सब्जीमंडी–आईटीआई–शिमला बाईपास चौक–आईएसबीटी।	60
14	प्रेमनगर–रेलवे स्टेशन मार्ग वाया बल्लीवाला चौक–सहारनपुर चौक।	30
15	प्रेमनगर–घण्टाघर वाया बल्लूपुर–किशननगर चौक–कनाट प्लेस।	50
16	परेडग्राउण्ड–क्लेमनटाउन मार्ग।	80
17	आईएसबीटी–पेलियो–नयागांव मार्ग।	40
18	बाजावाला–मसन्दावाला–कौलागढ़–ओएनजीसी–राजेन्द्रनगर–किशननगर चौक–बिन्दाल पुल–कनाट प्लेस– घण्टाघर–परेडग्राउण्ड।	40

	कुल योग	**797**

उपरोक्त मार्गों पर चालक को छोडकर, 07 से 12 सीटिंग क्षमता वाली, छोटी चार पहिया वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने के विरूद्ध अध्यक्ष, देहरादून महानगर, सिटी बस सेवा महासंघ, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 26.02.2019 के द्वारा आपत्ति ब्यक्त की गई है। जिसका विवरण उक्त मद सं0 12 में दिया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद संख्या– 23 – मोटर वाहन अधिनियम–1988 की धारा 86 के अन्तर्गत ओवर लोडिंग के अभियोग के चालान पर विचार एवं आदेश– 05 सवारी से अधिक एंव 20 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड सवारी ढोने में हुये प्रथम चालान के मामलेः–

क्र0 सं0	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक	अभियोग का विवरण एंव चालान की स्थिति	टिप्पणी
1.	श्री पुनीत पुत्र बाबूराम	यूके08टीए–2838 टैम्पों–4764	परिवहन कर अधिकारी–1 दिनांक–03.04.2018	08 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
2.	श्री बिजेन्दर पुत्र श्री हरफूल सिंह	यूके14सीए–0975 यूके/7/जीसी/2016 /1127	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–07.05.2018	**18 टन ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
3.	श्री संजय पुत्र श्री सोम प्रकाश	यूके07टीसी–0231 टैम्पो–2852	परिवहन कर अधिकारी–1 दिनांक–07.06.2018	**08 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
4.	श्री रकम सिंह पुत्र श्री सीता राम	यूके07सीए–9773 यूपीसीओपी–2233	यातायात पुलिस, दिनांक–03.07.2018	**07 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।

5.	श्री मुन्तजीर पुत्र श्री कामिल	यूके08टीए–2612 टैम्पों–4639	यातायात पुलिस, दिनांक–01.07.2018	**08 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
6.	श्री जमशेद अली पुत्र श्री अजीमुद्दीन	यूके07टीए–8084 टैम्पों–2838	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–08.02.2018	**06 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
7.	श्री दीपचन्द सिंह रावत पुत्र श्री पदम सिंह रावत	यूके07टीए–4546 मैक्सी–3153	यातायात पुलिस, दिनांक–19.03.2018	**06 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
8.	श्री रिजवान पुत्र श्री हफीज मंजूर	यूके08टीए–0911 टीपीसीओपी–4760	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–05.03.2018	**07 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
9.	श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह	यूके07टीबी–3740 ऑटो–5958	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–05.05.2018	**06 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
10.	श्री अमित पंवार पुत्र श्री रामपाल	यूके07सीए–7413 यूके/7/एनपी/2018 /676	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–01.08.2018	**20 टन ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
11.	श्री अजय चौधरी पुत्र श्री वीर सिंह चौधरी	यूके07सीबी–2727 यूके/7/एनपी/2017 /550	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–03.08.2018	**24 टन ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
12.	श्री बाल सिंह सैनी पुत्र श्री मंगत सिंह	यूके07टीबी–2399 यूके/7/सीसी/यूवैन /2017/155	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–08.07.2018	**06 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
13.	श्री सलीम अहमद पुत्र श्री शबीर अहमद	यूके07टीए–5271 पीएसटीपी–2154	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–16.05.2018	**06 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
14.	श्री किशन सिंह पुत्र श्री आलम सिंह	यूए07आर–8775 यूके/7/सीसी/	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी,	**10 सवारी ओवरलोड–**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।

		मैक्सी कैब / 2016 / 382	दिनांक–16.09.2018	**अनिस्तारित**	
15.	श्री अब्दुल सत्तार पुत्र श्री फैयाज अहमद	यूके08टीए–1190 टीपीसीओपी–4781	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–10.08.2018	**08 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
16.	श्री संजीव कुमार मित्तल पुत्र श्री भूषण लाल मित्तल	यूके08टीए–0806 टैम्पों–1934	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–23.08.2018	**09 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
17.	श्री अनुज गोस्वामी पुत्र स्व0 श्री प्रेम गिरी गोस्वामी	यूए08ई.–9333 यूके / 7 / एससी / प्लेन रीजन / 2017 / 13	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–02.07.2018	**21 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
18.	श्री कुँवर सिंह पुत्र श्री जामकु	यूए07एल–1823 यूके / 7 / सीसी / मैक्सी कैब / 2016 / 710	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–07.07.2018	**21 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
19.	श्री नीरज वालिया पुत्र श्री धर्मप्रकाश वालिया	यूके08टीए–3181 टैम्पो–5137	परिवहन कर अधिकारी–1 दिनांक–01.10.2018	**06 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
20.	श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री नकली राम	यूके08टीए–1288 टीपीसीओपी–4782	परिवहन कर अधिकारी–1 दिनांक–06.09.2018	**08 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
21.	श्री अंकित पुत्र श्री सुरेन्द्र	यूके08टीए–0201 टैम्पों–1809	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–21.04.2018	**08 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। तथा वाहन का परमिट दि0 05.09.2018 को समाप्त हो गया है।
22.	श्रीमती रजनी पत्नी श्री भरत सिंह	यूके07टीए–5482 मैक्सी–4133	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी दिनांक–12.10. 2018	**06 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
23.	श्री प्रमोद पुण्डिर पुत्र श्री बी0 एस0 पुण्डिर	यूके07टीए–4952 यूके / एससी / प्लेन रिजन / 2017 / 34	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी दिनांक–04.12. 2018	**07 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।

24.	श्री अल्ला रखा पुत्र श्री यासीन	यूके17सीए–1806 यूके/7/एनपी/2018/376	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–15.05.2018	**37 टन ओवरलोड–निस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। उक्त चालान का सहायक संभागीय परिवहन अधि0 (प्रवर्तन) सुल्तानपुर (उ0प्र0) द्वारा दिनांक 18.05.18 को वाहन में 37 टन ओवरलोड एंव अन्य अभियोगों में चालान कर धारा;86 की कार्यवाही हेतु चालन प्रेषित किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी ने सूचित किया है कि वाहन स्वामी द्वारा चालान का प्रशमन शुल्क रू0 80300.00 अपने नाम दिनांक 18.05.18 का जमा करा दिया है।
25.	श्री प्रवेज आलम पुत्र श्री लियाकत अली	यूके08टीए–2973 टैम्पों–4895	परिवहन कर अधिकारी–1 दिनांक–01.10.2018	**06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
26.	श्री अनूप गोयल पुत्र श्री एस0पी0गोयल	यूके07टीए–4552 मैक्सी–3161	यातायात पुलिस, दिनांक–04.04.2018	**06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
27.	श्री नावेद पुत्र श्री जहीर	यूके08टीए–1484 टीपीसीओपी–4788	परिवहन कर अधिकारी–1 दिनांक–14.03.2018	**08 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
28.	श्री संदेश कुमार पुत्र श्री सूरज कुमार	यूके07टीबी–3286 यूके/एससी/प्लेन रिजन/2018/10	परिवहन कर अधिकारी–1 दिनांक–05.12.2018	**06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
29.	श्री संदीप कुमार पुत्र श्री फूल सिंह	यूके08टीए– 2754 ऑटो–5247	परिवहन कर अधिकारी–1 दिनांक–06.09.2018	**06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
30.	श्री मेहरबान पुत्र श्री मकसूद	यूके08टीए–3032 टैम्पों–4925	परिवहन कर अधिकारी–1 दिनांक–11.10.2018	**06 सवारी ओवरलोड–निस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। उक्त वाहन का चालान दिनांक 11.10.18 को परि0 कर अधि0 प्रथम, रूडकी द्वारा किया गया था। वाहन में 06 सवारी ओवरलोड के अभियोग के साथ अन्य अभियोगों में चालान

					किया गया था। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन स्वामी से रू0 6000/– प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है।
31.	श्री मुजम्मिल पुत्र श्री कामिल	यूए08जे–2286 टैम्पो–1911	परिवहन कर अधिकारी–1 दिनांक–24.09.2018	**07 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
32.	श्रीमती नजमा बेगम पत्नी श्री मौ0 नजीम	यूके07सीबी–0023 यूके/7/एनपी/2015/83	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–01.08.2018	**21 टन ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
33.	श्री सरफराज पुत्र श्री अब्दुल मलिक	यूके08टीए–0541 टैम्पों–2355	परिवहन कर अधिकारी–1 दिनांक–03.12.2018	**07 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
34.	श्री हरिश कुमार पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम	यूके07टीए–2942 पीएसटीपी–2094	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–12.09.2018	**07 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।
35.	श्री कमल सिंह पुत्र पालस राम	यूके07टीए 7480 मैक्सी 5974	यातायात पुलिस, दिनांक–24.07.2018	**28 सवारी ओवरलोड अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।

(ख) 03 सवारी से अधिक एंव 50 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड सवारी ढोने में हुये द्वितीय चालान के मामलेः–

क0 सं0	**स्वामी का नाम**	**परमिट संख्या व वाहन संख्या**	**चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक**	**अभियोग का विवरण एंव चालान की स्थिति**	**टिप्पणी**
1	श्री लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह	यूके07टीए–4947 यूके/7/एससी/प्लेन रेज/2017/32	12.02.2018 05.10.2018	07 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **07 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।

(ग) 03 सवारी से अधिक एंव 50 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड सवारी ढोने में हुये तृतीय चालान के मामलेः–

क्र0 सं0	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक	अभियोग का विवरण एंव चालान की स्थिति	टिप्पणी
1.	श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री मांगे राम	टैम्पों–2083 यूके07टीए–9464	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–25.10.2016 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–27.10.2016 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–22.03.2018	02 सवारी ओवरलोड– निस्तारित 02 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **06 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित**	परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।

मद सं0 24– पुलिस विभाग द्वारा किये गये चालानो पर मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के अन्तर्गत निर्धारित प्रशमन शुल्क के सम्बन्ध में।

(1) श्री राकेश सोनकर पुत्र श्री हेमराज निवासी– नया गॉव बद्रीपुर देहरादून के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनकी वाहन स0 यू0के0–07पीए–0356 जो कि डी0एल0रोड–डिफेंस कॉलोनी–नबादा मार्ग के परमिट स0 पीएसटीपी–1690 से आच्छॉदित है, जिसकी वैधता दिनांक 18.12.2017 को समाप्त है। उनकी वाहन का पुलिस विभाग द्वारा निम्न चालान किये गये हैः–

1– वाहन का चालान दिनांक 08.9.2016 को निम्नलिखित अभियोगों में किया गया हैः–
वाहन की आर0सी0 नही है, निर्धारित संख्या 37 से लगभग 20 (कुल 57) अधिक सवारी खडी है।

2– वाहन का चालान दिनांक 21.8.2017 में निम्नलिखित अभियोगों मे किया गया है–
वाहन में क्षमता से 15 सवारियां ज्यादा है, तथा मार्गकर, आर0सी0, परमिट नही है ।

श्री राकेश सोनकर के द्वारा पुलिस विभाग द्वारा किये गये चालानो में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई शास्ति से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(2) श्री नितिन कुमार आहूजा पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार आहूजा निवासी– प्रेमनगर देहरादून के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी वाहन स0 यू0के0–7पीए–0873 परमिट स0 पीएसटीपी– 2134 से परेड ग्राउन्ड– परवल मार्ग के परमिट से आच्छॉदित है, परमिट की वैधता दिनांक 28.12.2020 तक है। पुलिस विभाग द्वारा वाहन के निम्नलिखित अभियोगों में चालान किये गये हैः–

1– वाहन का चालान दिनांक 03.9.2017 में निम्नलिखित अभियोग मे किया गया है–

(क) यातायात नियमो का उल्लघंन कर लटकाकर सवारी खतरनाक तरीके स`ले जाये जा रही है, बस में 40 सवारी स्टैडिंग ले कर जा रही है ।

2– वाहन का चालान दिनांक 20.1.2018 में निम्न अपराध में किया गया है –

(क) वाहन में 20 सवारी स्टैडिंग है।

श्री नितिन कुमार आहूजा द्वारा पुलिस विभाग द्वारा किये चालानो पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये प्रशमन शुल्क से छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्राधिकरण ने परमिट धारको के द्वारा किये गये अनुरोध पर विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया है कि दिनांक 20.5.2015 में सवारी गाडी वाहनो के लिये ओवर लोड़िग हेतु निर्धारित प्रशमन शुल्क को देहरादून शहर में संचालित नगर बसों तथा संभाग में संचालित विक्रम टैम्पो, ऑटो रिक्शा एंव ई– रिक्शा वाहनों के लिये निम्नानुसार प्रशमन शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं। तथा अन्य निर्णय पूर्ववत रहेगें।

1– 01 से 12 सीट क्षमता की वाहनो के लिये	–	रू0 200 प्रति सवारी ।
2– 12 से अधिक सीट क्षमता की वाहनो के लिये	–	रू0 400 प्रति सवारी ।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणो पर कार्यवाही हेतु अपनी बैठक दिनांक 20.02.2018 के संकल्प सं0– 55 में निम्न आदेश पारित किये गये है–

1–परमिट शर्तो के उल्लघंन एंव ओवरलोड के गम्भीर अभियोग (प्रथम) के निस्तारण हेतु प्रथम अभियोग के लिये निर्धारित सामान्य प्रशमन का डेढ गुना प्रशमन शुल्क अथवा दो माह का निलम्बन प्रभावी होगा। अनुवर्ती प्रकरणों को क्रमॉक 2 में निर्धारित नीति के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

2– परमिट शर्तो के उल्लघंन एंव ओवरलोड के अन्य अभियोगों का प्रशमन निम्नवत लिया जायेगाः–

क्र0 सं0	परमिट शर्तो के उल्लघंन(ओवरलोडिंग सहित) के चालान	निर्धारित प्रक्रिया
1	द्वितीय अवसर/चालान	प्रथम अभियोग हेतु निर्धारित प्रशमन शुल्क की दुगुनी धनराशि/दो माह का निलम्बन
2	तृतीय अवसर/चालान	रु0 12000/– अथवा दो माह 15 दिन का निलम्बन
3	चतुर्थ अवसर/चालान	रु0 15000/– अथवा तीन माह का निलम्बन
4	पंचम अवसर/चालान	रु0 18000/– अथवा चार माह का निलम्बन
5	छटवां अवसर/चालान	रु0 20000/– अथवा पांच माह का निलम्बन

अतः प्राधिकरण मामले मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 25– अन्य मद, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 05.03.2019 की कार्यवाही।

उपस्थित :–

1.	डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम आई0ए0एस0 आयुक्त, गढ़वाल मंडल।	अध्यक्ष
2.	श्री राजपाल सिंह 468 आवास विकास कॉलोनी, रूडकी, हरिद्वार।	सदस्य
3.	श्री अनिल डबराल, 141 किशननगर, देहरादून।	सदस्य
4.	श्री दिनेश चन्द्र पठोई संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।	पदेन सचिव

संकल्प सं0–1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.02.2018 की कार्यवाही का पुष्टिकरण किया जाता है।

संकल्प सं0–2 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित आदेशों का अवलोकन किया गया।

संकल्प सं0–3 सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प सं0 –4 इस मद की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण की बैठक में याचिकाकर्ता श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित हुये। उन्होंने निवेदन किया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 27.12.08 को संकल्प सं0 13 में देहरादून–कालसी एंव सम्बन्धित मार्ग हेतु जारी परमिटों को निरस्त कर दिया है। उनके द्वारा उक्त मद के अन्तर्गत प्राप्त सभी परमिटो को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत मार्ग के सम्बन्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील सं0 152/2019 लम्बित है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उक्त स्पेशल अपील में दिनांक 01.03.2019 की सुनवाई में उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई तक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिये जाने पर रोक लगायी गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में प्रकरण में विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0 5– इस मद की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के समक्ष श्री मंगल सिंह चौहान पुत्र श्री रन्जौर सिंह ग्राम व पो0ओ0 पाटा, जिला उत्तरकाशी उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया है कि वे अपनी वाहन जो कि उनके भाई के नाम पर है, जिसका संचालन उनके द्वारा ठेका गाडी परमिट शर्तों के अनुसार नियमानुसार किया जा रहा है। उनके द्वारा उत्तरकाशी में गैराज किराये पर लेकर वाहन का संचालन किया जा रहा था परन्तु सम्बन्धित यूनियन उनकी वाहनों का संचालन नही होने दे रही है। विश्वनाथ जीप कमान्डर जीप कमान्डर ट्रैक्स एंव कार चालक एंव मालिक कल्याण समिति, उत्तरकाशी के प्रतिनिधि भी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा सूचित किया गया है कि यदि श्री मंगल सिंह के द्वारा अपनी वाहन का संचालन अलग से किया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त याचिका सं0 2460/एम0एस0/2018 के याचिकाकर्ता श्री नरेश चन्द्र एंव अन्य भी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये उनके द्वारा अवगत कराया है कि वे अपनी वाहनों का संचालन अपने गैराज से करते हैं। उनकी सवारियॉ टेलिफोन से अपनी सीट बुक कराती हैं एंव वे अपनी वाहनों का संचालन निर्धारित समयान्तराल पर करते हैं। यदि वाहन में 02 सवारी भी बैठी हो तो भी उनके द्वारा वाहन का संचालन किया जाता है। परन्तु सम्बन्धित यूनियन के प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी वाहनों को उनके वाहन के आगे पीछे लगाकर उनको परेशान किया जाता हैं तथा उनकी वाहनों की सवारियों एंव उनके चालको से मारपीट की जाती है। मै0 यमुना वैली टैक्सी ऑर्नस वेलफेयर एशोसिएशन नौगॉव एंव मै0 यमुनोत्री बडकोट मोटर्स ऑर्नस टैक्सी एशोसिएशन, बडकोट, उत्तरकाशी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये उनके

द्वारा सूचित किया गया है उक्त याचिकाकर्ता एंव अन्य 07 लोगों के द्वारा अपनी अलग यूनियन बनाकर वाहनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे अव्यवस्था बनी हुई है। जिस कारण अनावश्यक विवाद एंव वाहनों की दुर्घटना होने की संभावना रहती है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी यूनियन में लगभग 300 वाहनें संचालित हो रही है। उनकी यूनियन चाहती है कि याचिकाकर्ता की यूनियन को उनकी यूनियन में शामिल कर दिया जाये या याचिकाकर्ता की यूनियन में उनकी यूनियन को शामिल कर दिया जाये। जिससे व्यवस्था बनी रहेगी एंव आनवश्यक रूप से वाहनों के स्वामियों के मध्य विवाद एंव वाहन दुर्घटना की संभावना समाप्त हो जायेगी।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि तीन अधिकारियों की एक समिति द्वारा उक्त प्रकरण में जॉच कर विभिन्न टैक्सी/मैक्सी यूनियनों द्वारा वाहन स्वामियों को सदस्यता प्रदान करने सम्बन्धी प्रक्रिया, यूनियनों द्वारा विभिन्न वाहनों के संचालन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया, व्यक्ति विशेष द्वारा यूनियन से पृथक वाहन संचालन से सम्बन्धित विधि एंव व्यवहारिक प्रभावों का आकंलन कर अपनी आख्या तीन सप्ताह के भीतर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी होंगे तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी द्वारा नामित क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी एंव सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी उत्तरकाशी/संभागीय निरीक्षक (प्रा0), उत्तरकाशी समिति के सदस्य होंगे।

संकल्प सं0 –6

इस मद की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के समक्ष शिकायतकर्ता श्री विजय वर्धन डंडरियाल उपस्थित हुये। उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया है कि श्री भण्डारी के द्वारा प्राधिकरण के शर्तों के विपरीत प्रेमनगर–रायपुर मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट प्राप्त किया है। उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुये परमिट निरस्त किया जाना चाहिये।

श्री गोपाल सिंह भण्डारी एंव उनके प्रतिनिधि श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित हुये एंव उनके द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया गया कि श्री भण्डारी के द्वारा प्रश्नगत मार्ग के परमिट प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण की बैठक से पूर्व दिनांक 02.12.08 को आवेदन के साथ शपथ पत्र दिया था। वह एक सामान्य प्रक्रिया थी। परन्तु वे यह नहीं जानते थे कि प्राधिकरण द्वारा यह शर्त लगाई जायेगी। प्राधिकरण के द्वारा अपनी बैठक दिनांक 27.12.2008 में शर्त लगाई गई थी। जिसके सम्बन्ध में उनको जारी स्वीकृति पत्र में ***पूर्व में किसी मार्ग का परमिट पाया जाता है तो ऐसे प्रार्थी को स्वीकृत परमिट जारी न किया जाय*** इस शर्त का उल्लेख नहीं था और ना ही उन्हें उक्त शर्त के सम्बन्ध में पूर्व से भी कोई सूचना थी। अतः उनके द्वारा

किसी प्रकार प्राधिकरण की शर्त का उल्लघंन नहीं किया गया है। उनके द्वारा पूर्व में उक्त परमिट अन्य के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया था, परन्तु वाहन पर लोन होने के कारण अभी तक कार्यालय के अभिलेखों में उक्त वाहन एंव परमिट हस्तान्तारित नही करा पाये हैं।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त प्रकरण पर शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये, तब तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0 7– इस मद की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के समक्ष श्री विजयवर्धन डंडरियाल उपस्थित हुये, उन्होंने निवेदन किया है कि वाहन को जब बोर्ड फिटनेस हेतु पुलिस अधिकारियों के समक्ष ले जाते हैं तो उनके द्वारा कानून व्यवस्था एंव अन्य दैनिक कार्यों की अधिकता होने के कारण बोर्ड फिटनेस हेतु समय नहीं दिया जाता हैं। जिससे अनावश्यक रूप से वाहन के बोर्ड फिटनेस जारी करने में विलम्ब होता है। जिससे वाहन का परमिट समय पर नवीनीकरण नहीं हो पाता है और वाहन का संचालन बन्द करना पडता है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया है कि पुलिस अधिकारी के स्थान पर परिवहन विभाग के किसी उच्च अधिकारी को बोर्ड फिटनेस हेतु नामित किया जाये। जिससे अनावश्यक विलम्ब एंव परेशानी से बचा जा सके।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि नगर बस सेवा योजना के अन्तर्गत वाहन की फिटनेस हेतु तीन सदस्यीय बोर्ड की व्यवस्था इस उददेश्य से की गई प्रतीत होती है कि उक्त महत्वपूर्ण कार्य में तीनों विभागों का प्रतिनिधित्व बना रहे। केवल एक ही विभाग के अधिकारी को उक्त बोर्ड में सम्मिलित करने पर उक्त उददेश्य की पूर्ति नहीं हो पायेगी तथा विभागीय निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकेगा। अतः उक्त अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0 8 – इस मद के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में प्राधिकरण का मानना है कि उक्त प्रकरण जनहित से जुडा है। अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 25 सीट तक की बसों में 02 सीट तथा 26 सीट से 35 सीट तक की बसों में 04 सीटें ड्राईवर केबिन के पीछे पूर्व में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों के पीछे वरिष्ठ नागरिकों के साथ दिव्यांगजनों हेतु सीट आरक्षित किया जाना तथा सीटों के ऊपर सुस्पष्ट अक्षरों में उपरोक्तानुसार आवश्यक संकेत के साथ सूचना अंकित करना जनहित में होगा। उक्त परमिट शर्त भविष्य में जारी होने वाली मंजिली वाहनों (चालक को छोडकर, 12 सीट

से अधिक क्षमता वाली) पर परमिट जारी करते समय स्पष्ट रूप से अंकित की जाये तथा पूर्व जारी परमिटों पर उक्त शर्त अधिरोपित करने हेतु, विज्ञप्ति जारी कर सभी परमिट धारकों से आपत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण के समक्ष अन्तिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

संकल्प सं0 9 – कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 18.02.2019 में संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक आहूत किये जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञप्ति की प्रति उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को भी प्रेषित की गई है। परन्तु मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखण्ड परिवहन निगम का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई अन्य व्यक्ति प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त मामला जनहित से जुडा है। अतः सडक सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता के दृष्टिगत् जनसाधारण की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित स्लोगन में से कम से कम एक स्लोगन न्यून्नतम 8 इंच के आकार में राज्य परिवहन निगम तथा नगर बसों की बॉडी पर लिखवाया जाना उचित प्रतीत होता हैः–

1. सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
2. हैल्मेट पहनना है जरूरी, ना शौक न मजबूरी।
3. सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें।
4. नजर हटी, दुर्घटना घटी।
5. शराब पीकर वाहन न चलाये।
6. वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग न करें।
7. वाहन निर्धारित गति से अधिक न चलाये।
8. वाहन में ओवरलोड़िग न करें।
9. रेड लाईट को जम्प न करें।
10. सदैव यातायात नियमों का पालन करें।

उक्त परमिट शर्त भविष्य में जारी होने वाली मंजिली वाहनों (चालक को छोडकर, 12 सीट से अधिक क्षमता वाली) पर परमिट जारी करते समय स्पष्ट रूप से अंकित की जाये तथा पूर्व जारी परमिटों पर उक्त शर्त अधिरोपित करने हेतु, विज्ञप्ति जारी कर सभी परमिट धारकों से आपत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण के समक्ष अन्तिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

संकल्प सं0 10

इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण मामले मे विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि दिव्यॉगजनों हेतु सुगम बनाये जाने के उददेश्य से 12 सीट से अधिक क्षमता की मंजिली गाडियों में रैम्प की व्यवस्था की जाये तथा जिन वाहनों में तकनीकी रूप से रैम्प बनाया जाना संभव न हों उन वाहनों में दिव्यांगजनों को वाहन में चढ़ने–उतरने की सुविधा प्रदान करने हेतु लकडी के रैम्प रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त शर्त भविष्य में जारी होने वाली मंजिली वाहनों (चालक को छोडकर, 12 सीट से अधिक क्षमता वाली) पर परमिट जारी करते समय स्पष्ट रूप से अंकित की जाये तथा पूर्व जारी परमिटों पर उक्त शर्त अधिरोपित करने हेतु, विज्ञप्ति जारी कर सभी परमिट धारकों से आपत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण के समक्ष अन्तिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

संकल्प सं0 11

इस मद की सुनवाई के दौरान श्री डंडरियाल के द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर सूचित किया गया है कि जो वाहन उत्तराखण्ड मोटरयान निमयावली–2011 में निर्धारित की गई स्टैज कैरिज के नियम पूर्ण नहीं करती है। उन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट नहीं दिया जा सकता है। उनके द्वारा इस मार्ग पर 07 से 12 सीटिंग क्षमता वाली वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने आपत्ति व्यक्त की गई है।

प्रश्नगत मार्ग के बस ऑपरेटरों ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि वर्तमान में उनके द्वारा पुल की ऊचॉई कम होने के कारण अपनी बडी बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। अत बडी बसों के स्थान पर छोटी चार पहिया वाहनों के परमिट जारी किये जाये, ताकि मार्ग पर वाहनों सुचारू संचालन किया जा सके।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि उक्त प्रकरण जनहित से जुडा है। पुल पर 09 फीट की ऊचॉई पर गार्डर लगे होने से वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग हेतु जारी परमिट से आच्छादित वाहनों का संचालन संभव नहीं है। जिससे स्थानीय जनता परिवहन सुविधा से वंचित हो गई हैं। अतः कम ऊचॉई की वाहनों के प्रतिस्थापन की अनुमति देना जनहित में उचित प्रतीत होता है। श्री डंडरियाल की आपत्ति पर विचार करते हुये प्राधिकरण यह निर्णय लेती है कि उक्त मार्ग

पर संचालित वाहनों का प्रतिस्थापन 8.5 फीट से कम ऊचॉई की ऐसी वाहनों से किया जाये जो कि मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 2(40) में वर्णित मंजिली वाहनों की परिभाषा पूर्ण करती हो तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 तथा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली–2011 के अन्तर्गत मंजिली वाहनों हेतु निर्धारित मानकों का शत–प्रतिशत पालन करती हो। ऐसे वाहनों का प्रतिस्थापन स्वीकार करने से पूर्व पंजीयन अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा। सचिव, संभागीय परिहन प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित प्रमाण–पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जायेगा एंव आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रतिस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।

संकल्प सं0 12– इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण ने निम्नलिखित मार्गों के सम्बन्ध में निर्णय लिया है किः–

(1) **प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्रचौक–उमेदपुर–देवीपुर–परवल–सिहनीवाला–शिमला बाईपास मार्ग वाया परवल, महेन्द्रचौक होते हुए प्रेमनगर मार्ग।**

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.02.2018 की बैठक में उक्त प्रकरण में लिये निर्णय के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन प्राप्त आवेदन पूर्व स्वीकृत रिक्ति की सीमा तक स्वीकार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में स्वीकृत रिक्ति के सापेक्ष निर्धरित शर्तों के अधीन अन्य आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसे आवेदनों पर सचिव, प्राधिकरण द्वारा परमिट स्वीकृत किये जा सकेंगे। स्वीकृत रिक्ति से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से चयनित आवेदकों को सचिव, प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी किये जा सकेंगे।

(2) **प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्र चौक–गुसांई चौक–अम्बीवाला–शुक्लापुर वापस महेन्द्र चौक होते हुये प्रेमनगर मार्ग।**

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.02.2018 की बैठक में उक्त प्रकरण में लिये निर्णय के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन प्राप्त आवेदन पूर्व स्वीकृत रिक्ति की सीमा तक स्वीकार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में स्वीकृत रिक्ति के सापेक्ष निर्धरित शर्तों के अधीन अन्य आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसे आवेदनों पर सचिव, प्राधिकरण द्वारा परमिट स्वीकृत किये जा सकेंगे। स्वीकृत रिक्ति से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से चयनित आवेदकों को सचिव, प्राधिकरण द्वारा परिमट जारी किये जा सकेंगे।

(3) <u>प्रेमनगर–आरकेडिया टी स्टेट–मिठ्ठी बेरी–बनियावाला–गोरखपुर–शिमला बाईपास –आई0एस0बी0टी0 वाया बड़ोवाला–आरकेडिया होते हुये प्रेमनगर मार्ग।</u>

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि चूकिः उक्त मार्ग पर पूर्व स्वीकृत रिक्ति के सापेक्ष अधिक आवेदन प्राप्त हैं। अतः स्वीकृत रिक्ति से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण लॉटरी के माध्यम से चयनित आवेदकों को सचिव, प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.02.2018 में स्वीकृति रिक्ति की सीमा तक परमिट जारी किये जायेगे।

(4) <u>प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग।</u>

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मद सं0 12(4) में उल्लेखित श्रीमती बीना देवी को उनकी वाहन सं0 यूके07 टीए 6766 के लिये प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.02.2018 में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग का एक स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया जाता है इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया कि प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.02.2018 की बैठक में उक्त प्रकरण में लिये निर्णय के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन प्राप्त आवेदन पूर्व स्वीकृत रिक्ति की सीमा तक स्वीकार किये जाते हैं तथा यदि भविष्य में स्वीकृत रिक्ति के सापेक्ष निर्धरित शर्तों के अधीन अन्य आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसे आवेदनों पर सचिव, प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी किये जा सकेंगे। स्वीकृत रिक्ति से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से चयनित आवेदकों को सचिव, प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी किये जा सकेंगे।

उपरोक्त सभी मार्गों के स्थाई सवारी गाडी परमिट मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर याचिका सं0 525/एमएस/2018 में पारित अन्तिम आदेशों के अधीन जारी किये जायेंगे।

संकल्प सं0 13– इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री रवि कुमार को उनकी वाहन सं0 यू0के0–07टीबी–4112 को बाजावाला–मंसदावाला–कौलागढ़–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का अस्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया जाता है तथा प्रश्नगत मार्ग के सम्बन्ध में प्राप्त सर्वे की आख्या के आधार पर नये स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने का मामला प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

संकल्प सं0 14– इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण की बैठक में श्री एस0के0 श्रीवास्तव ने उपस्थित होकर सूचित किया है कि प्रेमनगर–नन्दा की चौकी – पौधा– विधौली – डुंगा– भाऊवाला – सुद्वोवाला–प्रेमनगर– सहसपुर–सेलाकुंई–भाऊवाला–डूंगा–कोटडा एवं सम्बद्व मार्ग अलग–अलग मार्ग हैं एंव अलग–अलग मार्गो का एक परमिट जारी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस मार्ग पर छोटी चार पहिया वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये जाने के विरूद्ध आपत्ति ब्यक्त की है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्रीमती संगीता नेगी की वाहन सं0 यूके07टीबी 3307 प्रश्नगत मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त मार्ग पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत विद्यमान 01 रिक्ति के सापेक्ष एकमात्र प्राप्त आवेदन श्रीमती तृप्ति आनन्द पत्नी श्री आनन्द किशोर, 106 निर्मल, ब्लाक सी, श्यामपुर, ऋषिकेश को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.02.2018 में निर्धारित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है तथा मार्ग पर अन्य रिक्ति उपलब्ध न होने कारण प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत किया जाता है तथा मार्ग हेतु स्वीकृत परमिट मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं0 525/एमएस/2018 के द्वारा पारित अन्तिम आदेशों के अधीन जारी किये जायेंगे।

संकल्प सं0 15– इस मद के अन्तर्गत 03 आवेदक श्री इमरान, शौकत एंव सतीश कुमार प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये एंव उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 में उन्हें हरिद्वार केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्वब्यास हेतु ऑटो रिक्शा परमिट स्वीकृत कर, स्वीकृत पत्र जारी किये गये। उनके द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि 30.11.14 से पूर्व अपनी वाहनों का पंजीयन करा लिया गया था। परन्तु किन्ही कारणों से प्राधिकरण के द्वारा उन्हें उनकी वाहन हेतु हरिद्वार केन्द्र का परमिट जारी नहीं किया गया है। वर्तमान में उनकी वाहन बिना परमिट घर पर खडी हैं। जिससे उन्हें आर्थिक हानि हो रही है। उन्होनें अनुरोध किया हैं कि उन वाहनों को हरिद्वार केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धब्यास का ऑटो रिक्शा परमिट स्वीकृत किया जाये।

प्राधिकरण के द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मद में वर्णित सभी आवेदकों के साथ–साथ उक्त तीनों आवेदकों को उनकी पूर्व पंजीकृत वाहन के लिये हरिद्वार केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धब्यास के लिये सामान्य शर्तों के साथ 05 वर्ष की अवधि के लिये एक–एक ऑटो रिक्शा परमिट स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा आवेदक जिसने प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में हरिद्वार केन्द्र के लिये ऑटो रिक्शा परमिट प्राप्त करने हेतु स्वीकृत पत्र प्राप्त कर दिनांक 30.11.2014 तक वाहन का क्रय/पंजीयन करा लिया हो और किसी कारणवश परमिट प्राप्त नही किया जा सका हो, के द्वारा परमिट हेतु आवेदन किया जाता है तो सचिव परीक्षण कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर ऑटो रिक्शा परमिट जारी कर सकेगे।

संकल्प सं0 16 – इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि रू0 7500/– का प्रशमन शुल्क जमा कराने पर परमिट स0 ऑटो–5298 को निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर परमिट का नवीनीकरण एंव वाहन को प्रतिस्थापन की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके साथ यह भी निर्णय लिया जाता है उक्त प्रकार के मामलों में सचिव को 05 वर्ष 06 माह तक के विलम्ब से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर, वाहन प्रतिस्थापन एंव परमिट नवीनीकरण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

संकल्प सं0 17– इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि टाटा मैजिक एक्सपेस वाहन को ठेका गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका सं0 2265/एमएस/2014 में पारित

आदेशों के आलोक में शासकीय अधिवक्ता से परामर्श प्राप्त कर प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाये तब तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0 18 इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री दीपक जैन की वाहन सं0 यूके 07टीए 7360 को एल0पी0जी0/बैटरी चालित ऑटो रिक्शा वाहन से प्रतिस्थापन की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की कोई अन्य वाहने, जिसके द्वारा अभी तक प्रतिस्थापन न कराया हो, आवेदन प्राप्त होने पर सचिव, परीक्षण कर उपरोक्तानुसार वाहन का प्रतिस्थापन करने की अनुमति प्रदान करेंगें।

संकल्प सं0 – 19 इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण के समक्ष श्री संजय कुण्डलिया एंव श्री रनाकोटी ने उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि जंगल सफारी का क्षेत्र बढ गया है। अतः उनकी वाहनों को मोतीचूर केन्द्र से 40 कि0मी0 अर्द्वव्यास के स्थान पर 60 किमी0 अर्द्धब्यास के परमिट जारी किये जायें।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त मद में उल्लेखित समस्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत करते हुये निर्णय लिया कि आवेदकों को एक–एक स्थाई टैक्सी/मैक्सी कैब के ठेका गाडी परमिट 05 वर्ष की अवधि के लिये सामान्य शर्तों के साथ–साथ मद में उल्लेखित पूर्व निर्धारित शर्तों सहित मोतीचूर केन्द्र से 60 कि0मी0 अर्द्वव्यास के लिये स्वीकृत किये जाते हैं। स्वीकृत परमिट औपचारिकताये पूर्ण कर दिनांक 30.04.2019 तक प्राप्त किये जा सकेंगे तद्पश्चात स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

संकल्प सं0–20 इस मद के अन्तर्गत मामले की सुनवाई के दौरान तीनो आवेदक श्री विजयवर्घन ड़डरियाल, श्री हुकुमचन्द एंव श्री हरबंश लाल ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः प्राधिकरण ने सभी पक्षों की सुनवाई के पश्चात विचारोपरान्त प्रकरण पर विचार को स्थगित करते हुये निर्णय लिया कि प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण कर अस्थाई/स्थाई परमिट की आवश्यकता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर, मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

संकल्प सं0–21 इस मद के अन्तर्गत मामले की सुनवाई के दौरान श्री सतीश शर्मा ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उनके द्वारा अपनी वाहन केवल विवाह शादी में ही प्रयोग की है। अतः नियमावली में दिये गये प्राविधान के अनुसार उनके वाहन को जारी परमिट को निर्धारित प्रशमन शुल्क से मुक्त रखा जाये।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 के परन्तुक में दिये प्राविधान के अन्तर्गत परमिट सं0 1441 को निर्धारित प्रशमन शुल्क से मुक्त किया जाता है।

संकल्प सं0– 22 इस मद के अन्तर्गत मामले की सुनवाई की दौरान श्री विजय वर्धन डंडरियाल ने उपस्थित होकर सूचित किया है कि उपरोक्त मार्गों पर विक्रम टैम्पो वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी नही किये जा सकते हैं। उक्त वाहन उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 में स्थाई सवारी गाडी परमिट हेतु निर्धारित नियमो को पूर्ण नहीं करती है। अतः उक्त प्रकार की वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया जाना नियम विरूद्ध है। उपरोक्त प्रकार की वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के विरूद्ध मेरे द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 525/एमएस/18 दायर की गई है। अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकार की वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी न किया जाये।

प्राधिकरण की बैठक में श्री राजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष विक्रम यूनियन ने उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि उनके द्वारा विक्रम टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में नियमावली के नियमों में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में शासन में आवेदन दिया गया है। जिस पर शासन के द्वारा विचार किया जा रहा है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया कि शासन द्वारा नियमावली में शिथिलता प्रदान किये जाने तक प्रकरण पर विचार को स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0–23 इस मद के अन्तर्गत उपस्थित सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई के पश्चात प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मद के क्रमॉक (क) में उल्लेखित परमिट शर्तो के उल्लघंन एंव ओवरलोड के गम्भीर अभियोग (प्रथम) के निस्तारण हेतु परमिट का दो माह का निलम्बन अथवा 12 सीट तक की क्षमता वाली वाहन के लिये रू0 400 प्रति सवारी

एंव 12 सीट से अधिक क्षमता वाली वाहनों के लिये 800 प्रति सवारी प्रशमन शुल्क देय होगा। भार वाहन के मामले में परमिट का 03 माह का निलम्बन अथवा निलम्बन के स्थान पर शासन द्वारा निर्धारित देय प्रशमन शुल्क से ढेड गुना प्रशमन शुल्क देय होगा। **(उक्त दर या प्रशमन हेतु परमिट धारक के सहमत होने की दशा में ही सचिव द्वारा प्रकरण का प्रशमन किया जा सकेगा)।**

मद के क्रमॉक (ख) में 03 सवारी से अधिक एंव 50 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड सवारी ढोने में हुये द्वितीय चालान के मामले में परमिट शर्तो के उल्लघंन एंव ओवरलोड के गम्भीर अभियोग (द्वितीय) के निस्तारण हेतु परमिट का दो माह 15 दिन का निलम्बन अथवा निलम्बन के स्थान पर 12 सीट तक की क्षमता वाली वाहन के लिये रू0 800 प्रति सवारी एंव 12 सीट से अधिक क्षमता वाली वाहनों के लिये 1200 प्रति सवारी प्रशमन शुल्क देय होगा। भार वाहन के मामले में परमिट का 04 माह का निलम्बन अथवा निलम्बन के स्थान पर शासन द्वारा निर्धारित देय प्रशमन शुल्क से दो गुना प्रशमन शुल्क देय होगा। **(उक्त दर या प्रशमन हेतु परमिट धारक के सहमत होने की दशा में ही सचिव द्वारा प्रकरण का प्रशमन किया जा सकेगा)।**

मद के क्रमॉक (ग) 03 सवारी से अधिक एंव 50 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड सवारी ढोने में हुये तृतीय चालान के मामले में परमिट का 03 माह का निलम्बन अथवा निलम्बन के स्थान रू0 15000/– प्रशमन शुल्क देय होगा। **(उक्त दर या प्रशमन हेतु परमिट धारक के सहमत होने की दशा में ही सचिव द्वारा प्रकरण का प्रशमन किया जा सकेगा)।**

उपरोक्त निम्लबन अवधि एंव प्रशमन शुल्क की दरें मद में उल्लेखित चालानों के साथ–साथ उपरोक्तानुसार (क्रमॉक (क)(ख) एंव (ग) की तरह) परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में दिनांक 26.02.2019 तक प्राप्त चालानों पर प्रभावी होगें। तथा अन्य सामान्य चालानों पर प्राधिकरण द्वारा लिये गये पूर्व निर्णय प्रभावी रहेंगें।

संकल्प सं0 24– इस मद के अन्तर्गत श्री राकेश सोनकर ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर अवगत कराया कि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी वाहन को निर्धारित प्रशमन शुल्क से मुक्त किया जाये। इसके साथ ही श्री नितिन कुमार आहूजा ने भी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि उनकी वाहन को प्रशमन शुल्क से छूट प्रदान करने की कृपा करें।

प्राधिकरण ने सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई के उपरान्त निर्णय लिया कि ओवरलोंडिग एंव परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के सम्बन्ध में सभी के लिये समान नीति निर्धारित है। जिसके लिये परमिट का निलम्बन अथवा निलम्बन के स्थान पर प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया है। उक्त दोनों आवेदकों के वाहनों के द्वारा ओवरलोडिंग एंव परमिट शर्तों के उल्लघंन करने के अभियोग में परमिट को निलम्बन अथवा निलम्बन के स्थान पर अलग से प्रशमन शुल्क निर्धारण करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः दोनों आवेदनों को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0 25– **अन्य मद, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से**– प्राधिकरण की बैठक में निम्नलिखित आवेदकों/उनके प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उनकी वाहन टाटा मैजिक वाहन है। उक्त टाटा मैजिक वाहन जो कि 09 वर्ष पुरानी हो गई है, जो कि घर में खड़े–खड़े खराब हो चुकी है। ना तो चलने के काबिल है और न ही हमारे परिवार का भरण–पोषण कर सकती है, हमारे परिवार की स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। मेरे व मेरे परिवार की मानसिक स्थिति काफी खराब हो गई है। हम इस वाहन पर विक्रम लेना चाहते है। क्योंकि टाटा मैजिक 4,75,000.00 रूपये व विक्रम वाहन 2,80,000.00 रूपये का आ रहा है। हम इस वाहन पर सरकार का दिया हुया जो भी राजस्व देय होगा हम अदा करने को तैयार है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुये हम टाटा मैजिक के स्थान पर नये विक्रम लाने की अनुमति प्रदान करें, आवश्यक लगे तो इन टाटा मैजिक का सर्वे करा लें, हमारी वाहने अपने स्थान पर खड़े–खडे खराब हो चुकी है। कृपया करके हम गरीबो की व्यथा सुने हम गरीबो पर प्रत्येक दिन का 50/– रूपये रोज फिटनेंस जुर्माना व 70/– रूप्ये रोज प्रत्येक दिन का प्राईवेट फाईनेंश लोन जो वाहनो पर चला आ रहा है। उसको अदा करने का हमारी मजबूरी को देखते हुए कृपा करके हमारी परेशानियो का निवारण करने की कृपा करें।

1– श्री मौ0 सत्तार पुत्र श्री फयाज अहमद	वाहन स0 यू0के0–08टीए– 1190।
2– श्री श्रीमती रेशमा पत्नी श्री मुरसलीन,	वाहन स0 यू0के0–08टीए– 1125।
3– श्री श्री नसीम पुत्र श्री बरकत,	वाहन स0 यू0के0–08टीए–1120।
4– श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री कुर्वान	वाहन स0–यू0के0–08टीए– 1189।
5– श्रीमती फरिदा पत्नी श्री बुन्दु हसन	वाहन स0 यू0के0–08टीए– 1209।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.2009 के संकल्प सं0–7 में प्राधिकरण द्वारा देहरादून संभाग के लक्सर, रूड़की तथा हरिद्वार केन्द्रों हेतु निम्नलिखित आदेश पारित किये गये थेः–

"देहरादून सम्भाग के लक्सर, रूड़की तथा हरिद्वार केन्द्र से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यातायात के पर्याप्त साधन न उपलब्ध होने के कारण जनता को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010 में हरिद्वार में कुम्भ मेला आयोजित होना है। कुम्भ मेला के दौरान क्षेत्र में काफी आवागमन होने की सम्भावना है। अतः लक्सर, रूड़की तथा हरिद्वार केन्द्रों के लिए विक्रम टैम्पो के परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थियों को एक–एक ठेका गाड़ी परमिट निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किए जाते हैंः–

1– 07 सीटर, 04 पहिया, न्यूनतम 02 सिलिण्डर एवं यूरो–3 मानक वाली नयी वाहन होनी चाहिए।
2– जनपद में एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 की उपलब्धता होने पर इन वाहनों को एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3– उन्हीं आवेदकों का स्वीकृति जारी की जाएगी, जिनके पास पूर्व में कोई ऑटोरिक्शा/टैम्पो परमिट न हो।
4– यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक के द्वारा जाली प्रपत्रों के आधार पर परमिट प्राप्त करने का कोई प्रकरण न हो।
5– आवेदन उत्तराखण्ड के निवासी हों इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6– आवेदित क्षेत्र में रहने वालों को प्राथमिकता दी जायगी।
7– आवेदक बेरोजगार हों।
8– उसके पास हल्की वाणिज्य वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
9– परमिट को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा "

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशो के क्रम में हरिद्वार, रूड़की एंव लक्सर क्षेत्र के आवेदको के द्वारा निर्धारित शर्ते पूर्ण कर टाटा मैजिक वाहन पर हरिद्वार/रूड़की केन्द्र/लक्सर केन्द्र 25/40 कि0मी0 रेडियस के परमिट प्राप्त किये गये है। हरिद्वार, रूड़की, लक्सर क्षेत्र के इन परमिट धारको की संख्या लगभग 20 से 22 के मध्य है। इन परमिटों पर संचालित

वाहनें लगभग 09 वर्ष पुरानी हो गई है, इसलिये इन आवेदको के द्वारा अपने परमिटो पर टाटा मैजिक वाहन 07 सीटर के स्थान पर विक्रम टैम्पो वाहन लगाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया जा रहा है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में संकल्प सं0 7 में देहरादून केन्द्र के विक्रम टैम्पो वाहनो के संबध में निर्णय लिया गया था किः–

"प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि देहरादून में प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने, यात्रियों को अधिक आरामदायक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने एवं दुर्घटनाओं की आशंकाओं को न्यूनतम करने तथा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कम से कम यूरो–3, 04 पहिया वाली, न्यूनतम दो सिलेंडर वाली डीजल चालित वाहनों अथवा एल0पी0जी0 चालित विक्रम वाहनों से ही प्रतिस्थापन अनुमन्य किया जायेगा। "

प्राधिकरण ने अपनी की बैठक दिनांक 26.6.2010 के संकल्प सं0–4 के द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.2009 के संकल्प सं0 7 में लिये गये निर्णय के द्वारा विक्रम वाहन को चार पहिया वाहन से प्रतिस्थापन की शर्त को हटा दिया था। इसके पश्चात प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.2011 के संकल्प सं0–15 व 16 के द्वारा क्रमशः रूड़की केन्द्र एवं लक्सर केन्द्र हेतु प्राप्त सभी आवेदन पर चालक सहित 08 सीटर विक्रम टैम्पो वाहन के लिये 25 कि0मी0 रेडियस के ठेका परमिट स्वीकृत किये गये थे।

अतः प्राधिकरण द्वारा सभी तथ्यो पर विचारोपरान्त उपरोक्त सभी आवेदकों के आवेदन को स्वीकृत करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.2009 में संकल्प सं0–7 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत जिन आवेदकों ने हरिद्वार/रूडकी/लक्सर केन्द्रों हेतु चार पहिया, चालक सहित 07 सीटर, न्यूनतम 02 सिलिण्डर एवं यूरो–3 मानक वाली वाहनों के लिये ठेका गाडी परमिट प्राप्त किये गये थे, उन सभी परमिट धारकों को जारी परमिट के स्थान पर चालक सहित 08 सीटर, यूरो–04, नई विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये एक–एक ठेका गाडी परमिट हरिद्वार/रूडकी/लक्सर केन्द्रों से 25/40 किमी0 अर्द्धव्यास हेतु सामान्य शर्तों के साथ 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृति किये जाते हैं। समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर उपरोक्तानुसार परमिट जारी करने की कार्यवाही सचिव द्वारा की जायेगी।

(श्री राजपाल सिंह)
सदस्य
संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

(श्री अनिल डबराल)
सदस्य
संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

कार्यवृत्त तैयारकर्ता–
दिनेश चन्द्र पठोई, पदेन सचिव
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

(डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
(आई0ए0एस0)
अध्यक्ष
आयुक्त, गढ़वाल मंडल।